

संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (उत्तरांचल में यथा अनुकूलित एवं उपांतरित)

## अध्याय—1

### प्रारम्भिक तथा परिभाषायें

#### धारा—1. संक्षिप्त नाम—

- (1) यह अधिनियम संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 कहलाएगा, और
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण (उत्तरांचल) में होगा।

#### धारा—2. अनुसूची में उल्लिखित अतिनियमितियां उसके स्तम्भ 4 में निर्दिष्ट सीमा तक निरसित की जाती है।

#### धारा—3. जब तक विषय या प्रसंग में कोई बात विरुद्ध न हो, इस अधिनियम में—

#### परिभाषाएः—

- (1) **आबकारी राजस्व**— का तात्पर्य उस राजस्व से है जो शराब अथवा मादक भेषजों के सम्बन्ध में इस अधिनियम के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन आरोपित या आदिष्ट किसी शुल्क, फीस, कर, अर्थदण्ड (विधि न्यायालय द्वारा आरोपित अर्थदण्ड से भिन्न), या जब्ती से प्राप्त हो या प्राप्त होने योग्य हो,
- (2) **आबकारी अधिकारी**—का तात्पर्य कलेक्टर या किसी ऐसे अधिकारी या व्यक्ति से है जो धारा 10 के अधीन नियुक्त या शक्तियों से विनिहत किया गया हो।
- (3) **आबकारी आयुक्त**—का तात्पर्य उस अधिकारी से है जो धारा 10 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन (राज्य सरकार) द्वारा नियुक्त किया गया हो।
- (3क) **उत्पाद शुल्क और प्रतिशुल्क**—का तात्पर्य यथास्थिति, किसी ऐसे उत्पाद शुल्क/प्रति शुल्क से है जो (संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची 2 की (प्रविष्टि 51) में उल्लिखित है।
- (4) { } अधिनियम संख्या 2, 1978 की धारा 2 द्वारा निकाला गया।

‘मैनुफैक्टरी’ का तात्पर्य ऐसी इकाई जो आसवनी से भिन्न और जिसमें भारत निर्मित विदेशी मदिरा का उत्पादन व बोतलों में भराई हो।

यूपी० एक्साइज (एमेण्डमेन्ट) एक्ट 1997 की धारा-२ द्वारा प्रतिस्थापित।

- (5) { } अधिनियम संख्या 2, 1978 की धारा 2 द्वारा निकाला गया।
- (6) ताड़ी—का तात्पर्य किञ्चित या अकिञ्चित ऐसे रस से है जो नारियल, ताड़, खूजर या किसी अन्य प्रकार के पाम वृक्ष से निकाला गया हो,
- (7) पचवई—का तात्पर्य किञ्चित चावल, बाजरा या किसी अन्य अनाज, चाहें उसमें कोई अन्य द्रव मिश्रित हो अथवा नहीं, तथा उससे प्राप्त किसी द्रव से है, चाहे वह अवमिश्रित हो अथवा अवमिश्रित न हो।
- (8) स्प्रिट—का तात्पर्य किसी ऐसी शराब से है, जिसमें आसवन द्वारा प्राप्त अलकोहल विद्यमान हो, चाहे वह विकृत हो अथवा न हो।
- (9) विकृत—का तात्पर्य मानव उपभोग के अयोग्य ऐसी रीति से बना देने से है जिसे (राज्य सरकार) अधिसूचना द्वारा तदर्थ विहित करे। जब यह सिद्ध कर दिया जाये कि किसी स्प्रिट में कोई पदार्थ किसी ऐसे परिमाण में विद्यमान है जो विकृतीकरण के प्रयोजनार्थ (राज्य सरकार) द्वारा विहित किया गया हो, तो न्यायालय यह उपधारणा कर सकता है कि ऐसी स्प्रिट विकृत स्प्रिट है या उसमें विकृत स्प्रिट विद्यमान है या वह विकृत स्प्रिट से प्राप्त की गयी है।
- (10) बियर—में एल, स्टाउट, पीटर तथा माल्ट से बनी अन्य सभी किञ्चित शराब सम्मिलित है।
- (11) शराब—का तात्पर्य मादक शराब से है और इसके अन्तर्गत वाइन की स्प्रिट, स्प्रिट, वाइन, ताड़ी, पचवई, बियर और वे सभी द्रव जिनमें अलकोहल सम्मिलित या विद्यमान हो तथा कोई ऐसा पदार्थ भी है जिसे (राज्य सरकार) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना द्वारा शराब घोषित करे।

- (12) मादक भेषज—का तात्पर्य निम्नलिखित से है—
- 1 भांग— कैनेबिस सेटाइवा एल के पौधे की पत्तियां, छोटे-छोटे डंठल तथा फूलों या फलों के शीर्ष भाग और इसमें उसके सभी रूप सम्मिलित है जो भांग, सिद्धि या गांजा के नाम से ज्ञात है।
  - 2 चरस—अर्थात् भांग के पौधे से प्राप्त गाढ़ा द्रव (रेसिन) जिसके सम्बन्ध में संबेष्टन (पैकिंग) और परिवहन के लिए आवश्यक प्रहस्तन से भिन्न कोई किया न की गयी हो,
  - 3 मादक भेषज के उपर्युक्त रूपों में से किसी रूप का, निष्प्रभावित पदार्थों के साथ या उनके बिना, कोई मिश्रण या उससे तैयार किया गया कोई पेय, और
  - 4 कोई अन्य मादक या पिनक लाने वाला पदार्थ जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा मादक भेषज घोषित करे, किन्तु जो अनिष्टकर, औषधि द्रव्य अधिनियम, 1930 की धारा 2 में यथा परिभाषित, अफीम, कोका की पत्ती या निर्मित औषधि न हो।
- (13) मादक वस्तु—का तात्पर्य इस अधिनियम में यथा—परिभाषित किसी शराब या मादक भेषज से है।
- (14) { } एडेण्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 द्वारा निकाला गया।
- (15) { } एडेण्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 द्वारा निकाला गया।
- (16) विक्रय—व्याकरण सम्बन्धी परिवर्तनों सहित विक्रय में दान स्वरूप अन्तरण से भिन्न कोई अन्तरण सम्मिलित है।
- (17) आयात—का तात्पर्य भारत में आयात के सिवाय राज्य में इस प्रकार लाने से है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा परिभाषित सीमाशुल्क सरहद को पार करके लाने से भिन्न हो।

- (18) **निर्यात**—का तात्पर्य राज्य के बाहर इस प्रकार ले जाने से है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा परिभाषित सीमा शुल्क सरहद को पार करके बाहर ले जाने से भिन्न है।
- (19) **परिवहन**—का तात्पर्य राज्य के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने से है।
- (20) **निर्माण**—में ऐसी प्रत्येक प्रक्रिया, चाहे वह प्राकृतिक हो या कृत्रिम, सम्मिलित है जिसके द्वारा कोई मादक वस्तु उत्पादित या तैयार की जाये और इसमें पुनः आसवन तथा शराब के परिशोधन, सुस्वादकरण, सम्मिश्रण तथा रजित करने की प्रत्येक क्रिया भी सम्मिलित है।
- (20)क. **खेती**—व्याकरण सम्बन्धी परिवर्तनों सहित खेती का तात्पर्य बीज से किसी पौधे को उगाना है और इसके अन्तर्गत पौधे के बढ़ने के दौरान में उसी देखभाल या उसका संरक्षण करना भी है।
- (21) **बोतल में बन्द करना**—का तात्पर्य विक्रय के प्रयोजनों के लिए पीपे या अन्य बर्तन से बोतल या अन्य पात्र में अन्तरित करने से है चाहे इसमें परिशोधन की कोई प्रक्रिया प्रयुक्त हो अथवा नहीं तथा बोतल में बन्द करने के अन्तर्गत बोतल में फिर से बंद करना भी सम्मिलित है।
- (22) **स्थान**—में सकान, भवन, दुकान (कमरा), बूथ, तम्बू तथा जलयान सम्मिलित है।
- (22)क. **उत्पाद शुल्कारोप्य पदार्थ**—का तात्पर्य निम्नलिखित से है—
- क. मानव उपभोग के लिए कोई अल्कोहलिक शराब, या
- ख. कोई पिनक लाने वाला भेषज।
- (23) { } अधिनियम संख्या 3, 1914 द्वारा धारा 3 की उपधारा 23 बढ़ायी गयी और अधिनियम संख्या 2, 1930<sup>ई</sup>0 की धारा 40 तथा अनुसूची 2 द्वारा निकाली गयी।

धारा 4. राज्य सरकार की यह घोषित करने की शक्ति कि 'शराब' किसे समझा जाये—(1). राज्य सरकार इस अधिनियम के या इसके किसी भाग के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना द्वारा किसी भी वस्तु को 'शराब' घोषित कर सकती है।

(2) देशी शराब तथा विदेशी शराब— (राज्य सरकार) इसी प्रकार से इसी प्रकार के प्रयोजनों के लिए यह भी घोषित कर सकती है कि क्रमशः देशी शराब और विदेशी शराब किसे समझा जाये।

धारा 5.{ }अधिनियम संख्या „ 1930 की धारा—40 तथा अनुसूची—2 द्वारा निकाली गयी ।

धारा 6. फुटकर बिकी की सीमा घोषित करने की राज्य सरकार की शक्ति—

(1) राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा या तो सम्पूर्ण राज्य या उसमें समाविष्ट किसी स्थानीय क्षेत्र के संबंध में और सामान्यतया क्रेताओं या क्रेताओं के किसी निर्दिष्ट वर्ग के विषय में, तथा सामान्यतया किसी निर्दिष्ट अवसर के लिए यह घोषित कर सकती है कि किसी मादक वस्तु की कितनी मात्रा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए फुटकर बिकी की सीमा होगी।

(2) थोक बिकी—किसी 'मादक वस्तु' की किसी मात्रा में बिकी जो उस मात्रा से अधिक हो जिसे राज्य सरकार ने उपधारा (1) के अधीन फुटकर बिकी की सीमा घोषित की हो, 'थोक बिकी' समझा जायेगा।

धारा 7.पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में मादक वस्तु— जब कोई मादक वस्तु किसी व्यक्ति की पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में उक्त व्यक्ति के कारण हो तो उसे इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उस व्यक्ति के कब्जे में समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण—लिपिक या सेवक के रूप में अस्थायी रूप से या किसी विशेष अवसर पर सेवायोजित कोई व्यक्ति इस धारा के अर्थान्तर्गत लिपिक या सेवक है।

धारा 8.अधिनियमितियों का अपवाद—अनुसूची में उपबन्धित अवस्था को छोड़कर इस अधिनियम में अन्तर्बिष्ट कोई बात सी कस्टम्स ऐक्ट, 1878, केन्टीनमेन्ट्स ऐक्ट, 1889 या इण्डियन टेरिफ ऐक्ट 1894 ई0 या उनके अधीन बनाये गये किसी नियम या दिये गये किसी आदेश के उपबन्धों पर प्रभाव न डालेगी।

## अध्याय—2

### अधिष्ठान तथा नियंत्रण

धारा 9.{ } सं0प्रा० अधिनियम संख्या 2, 1923 ई० धारा 3 द्वारा निकाली गयी।

धारा 10. जिलों में आबकारी विभाग का प्रशासन—

(1) जब तक 'राज्य सरकार' अन्यथा निर्देश न दे, किसी जिले में आबकारी विभाग का प्रशासन उस जिले के कलेक्टर के प्रभार में होगा।

(2) राज्य सरकार की शक्ति—'राज्य सरकार' सम्पूर्ण उत्तरांचल पर या उसमें समाविष्ट किसी जिले या किसी स्थानीय क्षेत्र पर लागू होने वाली अधिसचूना द्वारा—

क. आबकारी आयुक्त नियुक्ति करने के विषय में—कोई अधिकारी नियुक्त कर सकती है जो एतद्पश्चात् 'आबकारी आयुक्त' के रूप में अभिदिष्ट किया जायेगा और जो राज्य सरकार के आदेशों के अधीन रहते हुए आबकारी विभाग के प्रशासन पर नियंत्रण रखेगा।

ख. कलेक्टर की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए व्यक्तियों की नियुक्ति करने के विषय में—लाईसेंस देने वाली परिषद संघटित कर सकती है या आबकारी विभाग के प्रशासन के संबंध में या तो कलेक्टर के साथ—साथ या उसके अधीन या अपवर्जन में ऐसे नियंत्रण के अधीन रहते हुए जैसा कि राज्य सरकार निर्देश दे, कलेक्टर की समस्त या उनमें से किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने के लिए तथा उसके समस्त या उनमें से किन्हीं कर्तव्यों का पालन करने के लिए कलेक्टर से भिन्न किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है।

ग. अधिकारियों की कतिपय कर्तव्यों का पालन करने के लिए अधिकृत किये जाने के विषय में—अधिकारी को धारा 48 तथा 64 (क) में उल्लिखित

कार्यों और कर्तव्यों का पालन करने के लिए अधिकृत कर सकती है तथा अधिकारियों और व्यक्तियों को धारा 50 में उल्लिखित कार्यों और कर्तव्यों का पालन करने के लिए अधिकृत कर सकती है।

घ. आबकारी विभाग के अधिकारियों को नियुक्त किये जाने के विषय में—इस अधिनियम के अधीन आबकारी विभाग में ऐसे वर्ग के अधिकारियों को तथा ऐसे पदनामों, शक्तियों और कर्तव्यों, सहित जिन्हें राज्य सरकार उचित समझें नियुक्त कर सकती है तथा उन क्षेत्रों को परिभाषित कर सकती है जिनके भीतर ऐसी शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग और पालन किया जा सकेगा।

ड. आबकारी अधिकारियों से भिन्न अधिकारियों द्वारा तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन किये जाने के आदेश का दिया जाना—आदेश दे सकती है कि इस उपधारा के खण्ड घ के अधीन आबकारी विभाग के किसी अधिकारी को अभ्यर्थित समस्त शक्तियों तथा कर्तव्यों या उनमें से किन्हीं शक्तियों तथा कर्तव्यों का इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए आबकारी विभाग के अधिकारी से भिन्न किसी अधिकारी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रयोग और पालन किया जायेगा।

च. अपनी शक्तियों को प्रति-निहित करने के विषय में—नियम बनाने के सम्बन्ध में धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्ति के सिवाय इस अधिनियम के अधीन अपनी समस्त या उनमें से किन्हीं शक्तियों को आबकारी आयुक्त को प्रतिनिहित कर सकती है।

छ. शक्तियों को वापस लेने के विषय में—किसी अधिकारी या व्यक्ति से आबकारी विभाग के प्रशासन के संबंध में किन्हीं या समस्त शक्तियों को वापस ले सकती है।

ज. शक्तियों को प्रतिनिहित करने की अनुज्ञा दिये जाने के विषय में—ऐसी अधिसूचना में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्गों को इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन या आबकारी राजस्व से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किन्हीं शक्तियों को आबकारी आयुक्त या कलेक्टर द्वारा प्रतिनिहित किये जाने की अनुज्ञा दे सकती है।

#### धारा 11. अपील और पुनरीक्षण—

- (1) कलेक्टर और प्रत्येक अन्य आबकारी अधिकारी (जो आबकारी आयुक्त नहीं है), इस अधिनियम के अधीन समस्त कार्यवाहियों के संबंध में आबकारी आयुक्त के नियंत्रण में होगा और इस अधिनियम के अधीन कलेक्टर या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा दिये गये समस्त आदेशों के विरुद्ध अपील, राज्य सरकार द्वारा इस निर्मित बनाये गये नियमों द्वारा विहित रीति से, आबकारी आयुक्त, को की जा सकेगी।

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन कोई अपील ग्रहण नहीं की जायेगी जब तक कि उसे व्यथित व्यक्ति द्वारा, ऐसा आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर प्रस्तुत न किया जाये और जब तक कि अपीलकर्ता ने यथास्थिति, कर फीस, शास्ति या अन्य देयों की, यदि कोई हो विवादग्रस्त राशि की कम से कम 25 प्रतिशत धनराशि की अदायगी का संतोषजनक सबूत प्रस्तुत न कर दिया हो।

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि अपील प्राधिकारी ऐसे विशेष और पर्याप्त कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे कर, फीस, शास्ति या अन्य देयों की ऐसी विवादग्रस्त राशि के संबंध में पूर्ववर्ती प्रतिबन्धात्मक खण्ड की अपेक्षाओं को अधित्यक्त या शिथिल कर सकता है।

(2) राज्य सरकार या तो स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति द्वारा कोई आवेदन करने पर, इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में दिये गये किसी आदेश से संबंधित अभिलेख को किसी ऐसे आदेश की शुद्धता वैधता या औचित्य या ऐसी कार्यवाही की नियमितता के संबंध में अपना समाधान करने के लिए मांग सकती है और उसकी परीक्षा कर सकती है और यदि किसी मामले में राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि ऐसे आदेश या कार्यवाही की परिष्कृत, उलटना या पुनर्विचार के लिए पुनः प्रेषित करना चाहिये तो वह तदनुसार आदेश दे सकती है।

प्रतिबंध यह है कि इस धारा के अधीन किसी पक्षकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई आदेश नहीं दिया जायेगा जब तक कि उसे अपना अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

अग्रेतर प्रतिबंध यह है कि इस उपधारा के अधीन कोई आवेदन ग्रहण नहीं किया जायेगा जब तक कि वह आबकारी आयुक्त के आदेश के तीस दिन के भीतर न दिया जाये और जब तक कि कोई अपील जहां वह ग्राह्य हो, दायर न कर दी गयी हो और आबकारी आयुक्त द्वारा निपटा न दी गयी हो।

प्रतिबंध यह भी है कि पुनरीक्षण के लिए कोई आवेदन ग्रहण नहीं किया जायेगा जब तक कि आवेदक ने, यथास्थिति, कर, फीस, शास्ति या अन्य देयों की, यदि कोई हो, विवादग्रस्त राशि की कम से कम 25 प्रतिशत धनराशि की अदायगी का संतोषजनक सबूत प्रस्तुत न कर दिया हो। प्रतिबंध यह भी है कि राज्य सरकार उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, कर, फीस, शास्ति या अन्य देयों को किसी विवादग्रस्त राशि के संबंध में पूर्ववती प्रतिबन्धात्मक खण्ड की अपेक्षाओं को अधित्यक्त या शिथिल कर सकती है।

### अध्याय—3

#### आयात, निर्यात तथा परिवहन

धारा 12— मादक वस्तुओं का आयात—

- (1). कोई मादक वस्तु तब तक आयात न की जायेगी जब तक कि—
- क. राज्य सरकार ने उसके आयात के लिए या तो सामान्य या विशेष अनुज्ञा न दे दी हो,
  - ख. ऐसी शर्त यदि कोई हो जिन्हें राज्य सरकार आरोपित करे, पूरी न कर दी गयी हों और
  - ग. धारा 28 के अधीन आरोपित उत्पाद शुल्क यदि कोई हो का भुगतान न कर दिया गया हो या उसके भुगतान के लिए बंध—पत्र निष्पादित न कर दिया गया हो।
- (2). उपधारा—1 किसी ऐसे पदार्थ पर लागू न होगी जो भारत में आयात किया गया हो और जो इस प्रकार आयातित होने पर इण्डियन टैरिफ ऐक्ट 1894 अथवा सी कस्टम ऐक्ट, 1878 के अधीन उत्पाद—शुल्क का भागी हो।
- (3) उपधारा—1 के खण्ड क और ख ऐसी शराब पर लागू न होंगे जो भारत में निर्मित की गयी हो और धारा 4 के अधीन विदेशी शराब घोषित की गयी हो।
- धारा 13. मादक वस्तुओं का निर्यात तथा परिवहन— किसी भी मादक वस्तु का तब तक निर्यात या परिवहन न किया जायेगा जब तक कि—
- क. धारा 28 के अधीन आरोपित उत्पाद—शुल्क यदि कोई हो, या
  - ख. यदि उस वस्तुत का पहले ही आयात किया गया था तो उसके आयातन पर इण्डियन टैरिफ ऐक्ट 1894 या सी कस्टम ऐक्ट, 1878 के अधीन

आरोपित उत्पाद—शुल्क का भुगतान न कर दिया गया हो या उसके भुगतान के लिए वंध पत्र निष्पादित न कर दिया गया हो।

धारा 14. { } उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6, 1972 की धारा 2 द्वारा निकाली गयी।

धारा 15. आयात, निर्यात तथा परिवहन के लिए पास आवश्यक है— किसी भी मादक वस्तु का ऐसे परिमाण, जिसे 'राज्य सरकार' अधिसूचना द्वारा या तो सामान्यतया सम्पूर्ण राज्य के लिए या उसमें समाविष्ट किसी स्थानीय क्षेत्र के लिए विहित करें, से अधिक परिमाण में अगली अनुवर्ती धारा के उपबन्धों के अधीन जारी किये गये पास के सिवाय आयात, निर्यात या परिवहन नहीं किया जायेगा।

प्रतिबंध यह है कि विकृत स्प्रिट से भिन्न दत्त शुल्क विदेशी शराब की दशा में, ऐसे पासों से अभिमुक्ति दे दी जायेगी जब तक कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी स्थानीय क्षेत्र के संबंध में अन्यथा निर्देश न दें।

प्रतिबंध यह भी है कि जब तक राज्य सरकार अन्यथा निर्देश न दे, किसी ऐसी मादक वस्तु के परिवहन के लिए पास अपेक्षित न होगा जो तदर्थ यथाविधि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किये गये पास के अधीन राज्य की परिसीमाओं के बाहर किसी स्थान से उक्त परिसीमाओं के बाहर किसी अन्य स्थान को निर्यात किया गया हो।

धारा 16. आयात, निर्यात तथा परिवहन के लिए पासों का दिया जाना—मादक वस्तुओं के आयात, निर्यात या परिवहन के लिए पास कलेक्टर द्वारा दिये जा सकते हैं।

ऐसे पास निश्चित अवधियों के लिए और निश्चित प्रकार की मादक वस्तुओं के लिए या तो सामान्य प्रकार के हो सकते हैं या केवल निर्दिष्ट अवसरों तथा विशिष्ट परेषणों के लिए विशेष प्रकार के हो सकते हैं।

## अध्याय—4

### निर्माण, कब्जा तथा विक्रय

धारा 17 इस अधिनियम के उपबन्ध के अधीन निर्माण करने के सिवाय मादक वस्तुओं के निर्माण का निषेध—(1). सिवाय कलेक्टर द्वारा तदर्थ दिये गये लाईसेंस के प्राधिकार और उसके निबन्धनों तथा शर्तों के अधीन रहते हुए—

- क. कोई भी मादक वस्तु निर्मित न की जायेगी।
- ख. भांग के पौधे कैनेविस सैटाइवा की खेती न की जायेगी।
- ग. भांग के पौधे कैनेविस सैटाइवा के किसी भी ऐसे भाग का, जिससे कोई मादक भेषज निर्मित किया जा सकता हो, संग्रह न किया जायेगा।
- घ. विक्रय के लिए किसी भी शराब को बोतल में बन्द न किया जायेगा, और
- ङ. कोई भी व्यक्ति ताड़ी से भिन्न किसी मादक वस्तु के निर्माण के लिए किसी प्रकार के सामान, भभका, बर्टन औजार या उपकरण का न तो प्रयोग करेगा, न अपने पास या न कब्जे में रखेगा।

(2) सिवाय धारा 18 के अधीन आबकारी आयुक्त, द्वारा तदर्थ दिये गये लाईसेंस के प्राधिकार और उसके निबन्धनों तथा शर्तों के अधीन रहते हुए कोई भी आसवनी, मैनुफैक्टरी अथवा यवासवनी न तो निर्मित की जायेगी या न चलाई जायेगी।

धारा 18. आसवनियों तथा भण्डारगारों की स्थापना या उनके लिए लाईसेंस दिया जाना— आबकारी आयुक्त—

- क. ऐसी आसवनी स्थापित कर सकता है जिसमें धारा 17 के अन्तर्गत दिये गये लाइसेंस के अधीन स्प्रिट का निर्माण ऐसी शर्तों पर किया जा सकता है जिन्हें राज्य सरकार आरोपित करना उचित समझे।
- ख. इस प्रकार स्थापित किसी आसवनी को बन्द कर सकता है।
- ग. किसी आसवनी, यवासनी अथवा मैनुफैक्टरी के निर्माण के लिए तथा उसे चलाने के लिए लाइसेंस ऐसी शर्तों पर जिन्हें राज्य सरकार आरोपित करना उचित समझें दे सकता है।
- घ. ऐसा भण्डारगार स्थापित कर सकता है या उसके लिए लाइसेंस दे सकता है जिसमें कोई मादक वस्तु उत्पाद शुल्क का भुगतान किये बिना जमा की जा सकती हो और रखी जा सकती हो और
- ड. इस प्रकार स्थापित किसी भण्डारगार को बन्द कर सकता है।
- धारा 19. आसवनी आदि से मादक वस्तुओं का हटाया जाना—कोई मादक वस्तु इस अधिनियम के अधीन स्थापित किसी आसवनी, यवासवनी, मैनुफैक्टरी, भण्डारगार या संग्रह करने के किसी अन्य स्थान से तब तक न हटायी जायेगी तब तक कि उत्पादन शुल्क यदि कोई हो, का भुगतान न कर दिया गया हो या उसके भुगतान के लिए बन्ध पत्र निष्पादित न कर दिया गया हो।
- धारा 20. राज्य सरकार द्वारा विहित परिमाण से अधिक परिमाण में मादक वस्तुओं को सिवाय परमिट के कब्जे में रखने के निषेध—
1. कोई भी व्यक्ति जो किसी मादक वस्तु का निर्माण खेती, संग्रह या विक्रय करने के लिए लाइसेंस प्राप्त न हो, अपने कब्जे में कोई मादक वस्तु किसी ऐसे परिमाण से जिसे राज्य सरकार ने धारा 6 के अधीन फुटकर बिकी की सीमा घोषित की हों, कलेक्टर द्वारा तदर्थ दिये गये परमिट के सिवाय, अधिक परिमाण में नहीं रखेगा।

2. { } उत्तर प्रदेश अधिनियम 30, 1978 द्वारा (1.5.72 से प्रभावी) निकाला गयी।
3. कोई लाइसेंस प्राप्त, विक्रेता अपने लाइसेंस द्वारा प्राधिकृत, स्थान से भिन्न स्थान में अपने कब्जे में कोई मादक वस्तु ऐसे परिमाण से जिसे राज्य सरकार ने धारा 6 के अधीन फुटकर बिकी की सीमा घोषित की हो, कलेक्टर द्वारा तदर्थ दिये गये परमिट के सिवाय, अधिक परिमाण न रखेगा।
4. { } निकाल दिया गया।

धारा 20 ए. { } निकाल दिया गया।

धारा 20 बी. { } निकाल दिया गया।

धारा 21. लाइसेंस प्राप्त किये बिना मादक वस्तुओं के विक्रय का निषेध—कलेक्टर से लाइसेंस प्राप्त किये बिना किसी मादक वस्तु का विक्रय नहीं किया जायेगा, प्रतिबंध यह है कि—

1. कोई व्यक्ति जिसे धारा 17 के अधीन भांग के पौधे की खेती करने या उसका संग्रहण करने का लाइसेंस प्राप्त हो, इस पौधे के उन भागों का जिनसे कोई मादक भेषज निर्मित किया जा सकता हो, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे इस अधिनियम के अधीन उसका व्यापार करने का लाइसेंस प्राप्त हो या किसी ऐसे अधिकारी को जिसे आबकारी आयुक्त विहित करे, लाइसेंस के बिना विक्रय कर सकता है।
2. राज्य (उत्तरांचल) के एक से अधिक जिलों में विक्रय करने का लाइसेंस केवल आबकारी आयुक्त द्वारा ही दिया जायेगा।
3. { } निकाल दिया गया।

धारा 22. इक्कीस वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को विक्रय किये जाने का निषेध— कोई लाइसेंस प्राप्त विक्रेता और कोई ऐसा व्यक्ति जो ऐसे विक्रेता के सेवायोजन में

हो और उसकी ओर से कार्य करता हो, किसी शराब या मादक भेषज को किसी ऐसे व्यक्ति को जो प्रत्यक्षतः इक्कीस वर्ष से कम आयु का हो, चाहे उसके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपभोग किये जाने के लिए ओर चाहे विकेता के भू—गृहादि पर या उसके बाहर उपभोग के लिए न तो बेचेगा या न उसे देगा।

**धारा23.इक्कीस वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तथा महिलाओं को सेवायोजित करने का निषेध—**

1. कोई व्यक्ति जो अपने भू—गृहादि पर उपभोग के निमित्त शराब बेचने के लिए लाइसेंस प्राप्त हो, उन घंटों के दौरान जिनमें ऐसे भुगृहादि व्यवसाय के लिए खुले रखे जाते हों, ऐसे भू—गृहादि के किसी ऐसे भाग में जिसमें जनसाधारण द्वारा ऐसे शराब या स्प्रिट का उपभोग किया जाता हो, इक्कीस वर्ष से कम आयु किसी व्यक्ति को या तो पारिश्रमिक सहित अथवा पारिश्रमिक के बिना न तो सेवायोजित करेगा या न सेवायोजित करने की अनुज्ञा देगा।
2. कोई व्यक्ति जो अपने भू—गृहादि पर उपभोग के निमित्त विदेशी शराब बेचने के लिए लाइसेंस प्राप्त हो, उन घंटों के दौरान जिनमें ऐसे भू—गृहादि व्यवसाय के लिए खुले रखे जाते हों, आबकारी आयुक्त की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना ऐसे भू—गृहादि के किसी ऐसे भाग में जिसमें जनसाधारण द्वारा शराब का उपभोग किया जाता तो किसी महिला को या तो पारिश्रमिक सहित अथवा पारिश्रमिक के बिना न तो सेवायोजित करेगा या न सेवायोजित अनुज्ञा देगा।
3. उपधारा—2 के अधीन दी गयी प्रत्येक अनुज्ञा लाइसेंस पर पृष्ठांकित की जायेगी और उसे परिष्कृत किया जा सकता है या वापस लिया जा सकता है।

धारा24.निर्माण आदि के एकान्तिक विशेषाधिकार का दिया जाना—धारा 31 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए आबकारी आयुक्त किसी भी व्यक्ति को किसी स्थानीय क्षेत्र के भीतर किसी देशी शराब या मादक भेषज का—

1. निर्माण करने या थोक सम्भरण करने या दोनों ही के लिये, या
2. थोक या फुटकर विक्रय के लिए, या
3. निर्माण करने या थोक सम्भरण करने या दोनों ही के लिए फुटकर बिकी के लिए एकान्तिक विशेषाधिकार का लाइसेंस दे सकता है।

धारा24ए. विदेशी शराब के संबंध में बिकी करने का एकान्तिक विशेषाधिकार देना—

1. धारा 31 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए आबकारी आयुक्त किसी व्यक्ति को किसी क्षेत्र में किसी विदेशी शराब का—
  - क. निर्माण करने या थोक सम्भरण करने, या दोनों ही के लिए, या
  - ख. निर्माण करने या थोक सम्भरण करने, या दोनों के ही लिये और फुटकर बिकी के लिए, या
  - ग. थोक या फुटकर विक्रेताओं को थोक विक्रेता द्वारा बिकी के लिए, या
  - घ. दुकानों पर केवल भू—गृहादि के बाहर उपयोगार्थ फुटकर बिकी के लिए एकान्तिक या अन्य विशेषाधिकार के लिए लाइसेंस या लाइसेंसों को स्वीकृत कर सकता है।
2. किसी क्षेत्र के संबंध में उपधारा 1 के खण्ड घ के अधीन कोई लाइसेंस या लाइसेन्सों के लिए स्वीकृत किये जाने से उसी क्षेत्र में होटलों और रेस्ट्रां में उनके ही भू—गृहादि में उपभोग के निमित्त विदेशी शराब की फुटकर बिकीके लिए लाइसेंस के स्वीकृत किये जाने पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

3. जहां उसी अवधि के लिए किसी क्षेत्र के संबंध में उपधारा—1 के खण्ड—घ के अधीन एक से अधिक लाइसेंस, स्वीकृत करने का प्रस्ताव हो, वहां प्रत्येक ऐसे लाइसेंसों के लिए भावी प्रार्थियों को प्रस्ताव की अग्रिम सूचना दी जायेगी।
4. इस धारा के अधीन एकान्तिक या अन्य विशेषाधिकार के लिए लाइसेंस स्वीकृत किये जाने के संबंध में धरा 25 और धारा 39 के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के उपबंध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे धारा 24 के अधीन एकान्तिक विशेषाधिकार के लिए कोई लाइसेंस स्वीकृत किये जाने के संबंध में लागू होते हैं। )

**धारा 24 ख.** शंकाओं का निवारण—शंकाओं के निवारण के लिए एतद्वारा घोषित किया जाता है कि—

- क. राज्य सरकार को देशी शराब और विदेशी शराब के निर्माण और विक्रय का एकान्तिक अधिकार या विशेषाधिकार है,
- ख. धारा 41 के खण्ड—ग में लाइसेंस फीस के रूप में वर्णित धनराशि राज्य सरकार द्वारा ऐसा अधिकार या विशेषाधिकार स्वीकृत किये जाने के लिए वास्तव में किराया या प्रतिफल है।
- ग. राज्य में आबकारी विभाग के अध्यक्ष के रूप में आबकारी आयुक्त को ऐसी फीस अवधारित या वसूल करते समय, राज्य सरकार की ओर से और के लिए कार्य करने वाला समझा जायेगा।

**धारा 25.** सैनिक कैन्टोनमेंट्स में शराब निर्माण तथा विक्रय— किसी सैनिक कैन्टोनमेन्ट की परिसीमाओं के भीतर और उन परिसीमाओं से ऐसी दूरी के भीतर जिसे केन्द्रीय सरकार किसी मामले में विहित करे। शराब के निर्माण या विक्रय के लिए या धारा—24 के अधीन शराब के संबंध में एकान्तिक विशेषाधिकार के लिए कोई लाइसेंस तब तक न दिये जायेंगे जब तक कि समादेशाधिकारी सहमति न दें।

धारा26. एकान्तिक विशेषाधिकार का गृहीता पट्टे पर उठा सकता है या अभ्यर्पित कर सकता है—अपने लाइसेंस की शर्तों के अधीन रहते हुए किसी एकान्तिक विशेषाधिकार का गृहीता अपना सम्पूर्ण विशेषाधिकार या उसका कोई भाग पट्टे पर दे सकता है या अभ्यर्पित कर सकता है किन्तु ऐसे विशेषाधिकार या उसके किसी भाग का कोई पट्टेदार या अभ्यर्थित किन्हीं अधिकारों का इस प्रकार प्रयोग न करेगा जब तक गृहीता द्वारा आवेदन पत्र दिये जाने पर आबकारी आयुक्त ने उसे कोई ऐसा लाइसेंस न दे दिया हो।

धारा 27.एकान्तिक विशेषाधिकार के गृहीता द्वारा उसको देय धनराशियों की वसूली—यथापूर्ववत् कोई गृहीता पट्टेदार या अभ्यर्पिती अपने अधीन किसी व्यक्ति से गृहीता, पट्टेदार या अभ्यर्पिती के रूप में उसको देय कोई धनराशि इस प्रकार वसूल कर सकता है मानों वह क्षेत्रपति और काश्तकार के संबंध में तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन वसूल होने योग्य बकाया लगान हो।

## अध्याय—5

### उत्पाद—शुल्क और फीस

धारा 28. उत्पादशुल्कारोप्य पदार्थ पर उत्पाद शुल्क—1. किसी ऐसे उत्पाद शुल्कारोप्य पदार्थ पर यथास्थिति उत्पाद—शुल्क या प्रति शुल्क ऐसी दर या दरों पर जैसा कि राज्य सरकार निर्देश दे या तो सामान्यतया या किसी निर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र के लिए आरोपित किया जा सकता—

- क. जो धारा 12—1 के उपबन्धों के अनुसार आयात किया गया हो, या
- ख. जो धारा 13 के उपबन्धों के अनुसार निर्यात किया गया हो, या
- ग. जिसका परिवहन किया गया हो, या
- घ. जो धारा 17 के अधीन दिये गये किसी लाइसेंस के अन्तर्गत निर्मित किया गया हो, जिसकी खेती की गयी हो या जिसे संग्रहित किया गया हो, या
- ड. जो धारा 18 के अधीन स्थापित किसी आसवनी या लाइसेंस प्राप्त किसी आसवनी या यवासवनी में निर्मित हो।

निम्नलिखित प्रतिबंध यह है कि—

1. उत्पाद—शुल्क किसी ऐसे पदार्थ पर इस प्रकार आरोपित नहीं किया जायेगा जो भारत में आयात किया गया हो और इस प्रकार आयातित होने पर इंडियन टैरिफ एक्ट—1894 अथवा सी कस्टम्स एक्ट, 1878 के अधीन उत्पाद—शुल्क का भागी हो।
2. निकाल दिया गया।

स्पष्टीकरण— इस धारा के अधीन उत्पाद शुल्क विभिन्न दरों से उन स्थानों के अनुसार जहां उत्पाद शुल्कारोप्य पदार्थ उपभोग के लिये ले जाया जाने वाला हो, या ऐसे पदार्थों की परिवर्ती सान्द्रता और गुण के अनुसार आरोपित किया जा सकता है—

(2) 'राज्य सरकार' उपर्युक्त उत्पाद-शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) या प्रतिशुल्क (काउन्टर वेलिंग ड्यूटी) आरोपित करने और उसकी दर निश्चित करने में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 में निर्दिष्ट निदेशक तत्वों का अनुसरण करेगी।

(3) ऐसा शुल्क एतदपश्चात उल्लिखित सीमा से अधिक नहीं होगा:—

(ए) धारा 12 (1) के उपबन्धों के अनुसार आयात किये गये उत्पाद शुल्कारोप्य पदार्थों पर प्रति-शुल्कः—

मद संख्या	उत्पाद-शुल्कारोप्य पदार्थों का विवरण	शुल्क की अधिकतम दर
1	देशी शराब (ताड़ी को छोड़कर)	90 रुपये प्रति बल्क लीटर
2	भारत में निर्मित और इस प्रकार परिष्कृत या रंजित शराब जिससे कि वह सुस्वाद या रंग में भारत में आयातित शराब के सदृश मालूम हो, और शोधित स्प्रिट—	
	(ए) एल, बियर, पोर्टर, साइडर तथा अन्य किणिवत शराब	60 रुपये प्रति बल्क लीटर
	(बी) शराब सुगंधित स्प्रिट (औषधीय तथा प्रसाधनिक विनिर्मितियों को छोड़कर)	600 रुपये प्रति बल्क लीटर
	(सी) वाइन	600 रुपये प्रति बल्क लीटर
	(डी) शराब, कार्डियल, मिश्रण तथा अन्य विनिर्मितियां जिनमें स्प्रिट हो किन्तु जिनका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो (औषधियों तथा भेषजों को छोड़कर)	600 रुपये प्रति बल्क लीटर
	(इ) ब्रांडी, जिन, व्हिस्की, रम, शोधित स्प्रिट और अन्य प्रकार की ऐसी स्प्रिट जिसका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।	600 रुपये प्रति बल्क लीटर
3	भांग	75 रुपये प्रति किलोग्राम
(बी) धारा 13 के उपबन्धों के अनुसार निर्यात किये गये उत्पाद-शुल्कारोप्य पदार्थों पर उत्पाद शुल्क या प्रतिशुल्क		
मद संख्या	उत्पाद-शुल्कारोप्य पदार्थों का विवरण	शुल्क की अधिकतम दर
1	देशी शराब (ताड़ी तथा अन्य किणिवत अलकोहलिक पेय को छोड़कर)	90 रुपये प्रति बल्क लीटर
2	भारत में निर्मित और इस प्रकार परिष्कृत या रंजित शराब जिससे कि वह सुस्वाद या रंग में भारत में आयोजित शराब के सदृश मालूम हो (बियर को छोड़कर)	600 रुपये प्रति बल्क लीटर
3	भारत में यवासवित बियर	60 रुपये प्रति बल्क लीटर
4	भाग	75 रुपये प्रति किलोग्राम
(सी) परिवहन किये गये उत्पाद-शुल्कारोप्य पदार्थों पर उत्पाद शुल्क या प्रतिशुल्क		
मद संख्या	उत्पाद-शुल्कारोप्य पदार्थों का विवरण	शुल्क की अधिकतम दर
1	देशी शराब (ताड़ी को छोड़कर)	90 रुपये प्रति बल्क लीटर
2	भारत में निर्मित और इस प्रकार परिष्कृत या रंजित शराब जिससे कि वह सुस्वाद या रंग में भारत में आयातित शराब	

	के सदृश मालूम हो, और शोधित स्प्रिट	
	(ए) एल, बियर, पोर्टर, साइडर तथा अन्य किण्वित शराब	60 रुपये प्रति बल्क लीटर
	(बी) सुगंधित स्प्रिट (औषधीय तथा प्रसाधनिक विनिर्मितियों को छोड़कर)	600 रुपये प्रति बल्क लीटर
	(सी) वाइन	600 रुपये प्रति बल्क लीटर
	(डी) शराब, कार्डियल्स, मिश्रण तथा अन्य विनिर्मितियां जिनमें स्प्रिट हो किन्तु जिनका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो (औषधि तथा भेषज को छोड़कर)	600 रुपये प्रति बल्क लीटर
	(ई) ब्रांडी, जिन व्हिस्की, रम, शोधित स्प्रिट और अन्य प्रकार की ऐसी स्प्रिट जिसका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो	600 रुपये प्रति बल्क लीटर
3	भांग	75 रुपये प्रति किलोग्राम
	(डी) धारा 17 के अधीन दिये गये किसी लाइसेंस के अन्तर्गत निर्मित, कर्षित, संगृहीत उत्पाद—शुल्कारोप्य पदार्थों पर उत्पाद शुल्क—	
मद संख्या	उत्पाद—शुल्कारोप्य पदार्थों का विवरण	शुल्क की अधिकतम दर
1	देशी शराब (ताड़ी को छोड़कर)	90 रुपये प्रति बल्क लीटर
2	भारत में निर्मित और इस प्रकार परिष्कृत या रंजित शराब जिससे कि वह सुस्वाद या रंग में भारत में आयातित शराब के सदृश मालूम हो, और शोधित स्प्रिट—	
	(ए) एल, बियर, पोर्टर, साइडर तथा अन्य किण्वित शराब	60 रुपये प्रति बल्क लीटर
	(बी) सुगंधित स्प्रिट (औषधीय तथा प्रसाधनिक विनिर्मितियों को छोड़कर)	600 रुपये प्रति बल्क लीटर
	(सी) वाइन	600 रुपये प्रति बल्क लीटर
	(डी) शराब, कार्डियल्स, मिश्रण तथा अन्य विनिर्मितियां जिनमें स्प्रिट हो किन्तु जिनका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो (औषधि तथा भेषज को छोड़कर)	600 रुपये प्रति बल्क लीटर
	(ई) ब्रांडी, जिन व्हिस्की, रम, शोधित स्प्रिट और अन्य प्रकार की ऐसी स्प्रिट जिसका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो	600 रुपये प्रति बल्क लीटर
3	भांग	75 रुपये प्रति किलोग्राम
	(ई) धारा 18 के अधीन स्थापित किसी आसवनी या लाइसेंस प्राप्त किसी किसी आसवनी या यवासवनी में निर्मित उत्पाद—शुल्कारोप्य पदार्थों पर उत्पाद शुल्क—	
मद संख्या	उत्पाद—शुल्कारोप्य पदार्थों का विवरण	शुल्क की अधिकतम दर
1	देशी शराब (ताड़ी तथा अन्य किण्वित अल्कोहलिक पेय को छोड़कर)	90 रुपये प्रति बल्क लीटर
2	भारत में निर्मित और इस प्रकार परिष्कृत या रंजित शराब जिससे कि वह सुस्वाद या रंग में भारत में आयातित शराब के सदृश मालूम हो, और शोधित स्प्रिट—	
	(ए) एल, बियर, पोर्टर, साइडर तथा अन्य किण्वित शराब	60 रुपये प्रति बल्क लीटर
	(बी) सुगंधित स्प्रिट (औषधीय तथा प्रसाधनिक विनिर्मितियों को छोड़कर)	600 रुपये प्रति बल्क लीटर
	(सी) वाइन	600 रुपये प्रति बल्क लीटर
	(डी) शराब, कार्डियल्स, मिश्रण तथा अन्य विनिर्मितियां जिनमें स्प्रिट हो किन्तु जिनका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो (औषधि तथा भेषज को छोड़कर)	600 रुपये प्रति बल्क लीटर
	(ई) ब्रांडी, जिन व्हिस्की, रम, शोधित स्प्रिट और अन्य प्रकार	600 रुपये प्रति बल्क लीटर

की ऐसी स्प्रिट जिसका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो

(4) उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (3) के खण्ड (ई) में सारणी में मद 2 (ए) के सामने हुए एल, बियर, पोर्टर, साइडर और अन्य किणित शराब पर शुल्क की अधिकतम दर 4 जून, 1975 से 5 रुपये प्रति लीटर समझी जायेगी और 4 जून, 1975 को या इसके पश्चात जारी की गयी कोई अधिसूचना जो इस उपधारा के उपबन्धों के अनुरूप हो, विधिमान्य और विधिपूर्ण समझी जायेगी और सदैव से विधिमान्य और विधिपूर्ण समझी जायेगी मानों इस उपधारा के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

#### धारा28.क.कतिपय दशाओं में अतिरिक्त उत्पाद शुल्क का आरोपण—

1. जहां किसी यवासनी में, आबकारी विभाग के ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे आबकारी आयुक्त इस निमित्त प्राधिकृत करें, परीक्षण करने पर स्टाक में स्प्रिट या बीयर का परिमाण स्टाक लेखे में प्रदर्शित परिमाण से अधिक पाया जाये, वहां यवासवक से अधिक परिमाण पर धारा—28 के अधीन निर्धारित सामान्य दर पर उत्पाद शुल्क का देनदार होगा।
2. जहां ऐसे परीक्षण पर स्प्रिट या बीयर का परिमाण स्टाक लेख में प्रदर्शित परिमाण से कम पाया जाये और यह कमी (यवासवीन में वाष्पन, सलेज और अन्य प्रासंगिकता के कारण हानि को पूरा करने के लिए और बोतल में भरे और भण्डार में रखने से हुई हानि को पूरा करने के लिए भी दी गयी) दस प्रतिशत की छूट सीमा से अधिक हो जाये, वहां आबकारी आयुक्त दस प्रतिशत से अधिक की ऐसी कमी के संबंध में उत्पाद शुल्क की साधारण दर के एक सौ प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क का उद्ग्रहण उत्पाद शुल्क की साधारण दर के अतिरिक्त करेगा।

#### धारा29.वह रीति जिसके अनुसार उत्पाद शुल्क लगाया जायेगा—ऐसे नियमों अधीन रहते हुए जिन्हें आबकारी आयुक्त भुगतान का समय, स्थान और रीति विनियमित करने

के लिए विहित करे, ऐसा उत्पाद शुल्क निम्नलिखित एक या एकाधिक प्रकार से लगाया जा सकता है जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्देश दे—

(क) धारा 12 (1) के अधीन आयात किये गये उत्पाद—शुल्कारोप्य पदार्थों की दशा में—

1. या तो आयात के प्रान्त में या निर्यात के प्रान्त या राज्य क्षेत्र में भुगतान करके, या
2. धारा 18 (घ) के अधीन स्थापित या लाइसेंस प्राप्त भण्डारागार से विक्रय के लिए जारी किये जाने पर भुगतान करके,

(ख) धारा 13 के अधीन निर्यात किये गये उत्पाद—शुल्कारोप्य पदार्थों की दशा में में या तो निर्यात के प्रान्त में या आयात के प्रान्त या राज्य क्षेत्र में भुगतान करके,

(ग) परिवहन किये गये उत्पाद—शुल्कारोप्य पदार्थों की दशा में—

1. उस जिले में भुगतान करके जहां से उत्पाद शुल्कारोप्य पदार्थ का परिवहन किया जाने वाला हो, या
2. धारा 18 (घ) के अधीन स्थापित या लाइसेंस प्राप्त भण्डारागार से विक्रय के लिये जारी किये जाने पर भुगतान करके,

(ग) धारा 17 के अधीन दिये गये किसी लाइसेंस के अन्तर्गत निर्मित मादक भेषजों की दशा में—

1. धारा 17 (1) (क) के उपबन्धों के अधीन दिये गये लाइसेंस के अन्तर्गत जारी किये गये परिमाण पर उपशुल्क भारित करके,
2. जहां कोई मादक भेषज धारा 17 (1) (ख) और (ग) के उपबन्धों के अधीन दिये गये लाइसेंस के अन्तर्गत खेती किये गये या संगृहीत भांग (कैनेबिस सैटाइवा) से निर्मित हो तो खेती के प्रति एकड़ पर उपशुल्क लगाकर या संगृहित मात्रा पर उपशुल्क भारित करके,

(ङ.) धारा 18 के अधीन स्थापित किसी आसवनी में या लाइसेंस प्राप्त किसी आसवनी या यवासवनी में निर्मित स्प्रिट या बियर की दशा में—

1. यथास्थिति, आसवनी या यवासवनी में उत्पादितया उससे जारी किये गये परिमाण पर या धारा 18 (घ) के अधीन स्थापित या लाइसेंस प्राप्त भाण्डारागार से जारी किये गये परिमाण पर उपशुल्क धारित करके,
2. यथास्थिति, प्रयुक्त सामानों के परिमाण अथवा धोवन या वर्ट के क्षीणन की मात्रा पर आकलित तुल्यांक के ऐसे मापकम के अनुसार जिसे (राज्य सरकार) विहित करके, उपशुल्क भारित करके,

प्रतिबंध यह है कि यदि भुगतान धारा 18 (घ) के अधीन स्थापित या या लाइसेंस प्राप्त भाण्डारागार से विक्रय के लिए किसी उत्पाद शुल्कारोप्य पदार्थ के जारी होने पर किया जाये, तो वह उत्पाद शुल्क की दस दर से होगा जो पदार्थ पर उस दिनांक को प्रवृत्त हो जबकि वह भण्डारागार से जारी किया जाये।

धारा 30. एकान्तिक विशेषाधिकार के लिए भुगतान—

1. इस अध्याय के अधीन लगाये जाने वाले किसी उत्पाद शुल्क के बजाय या उसके अतिरिक्त राज्य सरकार या उसकी ओर से आबकारी आयुक्त धारा 24 या धारा 24—क के अधीन किसी एकान्तिक या अन्य विशेषाधिकार के लिए लाइसेंस दिये जाने के प्रतिफल स्वरूप किसी राशि का भुगतान स्वीकार कर सकता है।
2. उपधारा 1 के अधीन देय धनराशि या तो नीलाम द्वारा या टेंउर आमंत्रित करके या अन्य प्रकार से निश्चित की जा सकती है या लाइसेंस के अधीन किये गये विक्रय या उठाये गये कोटा के आधार पर निर्धारित की जा सकती है या उपर्युक्त रीतियों से अंशतः निश्चित और अंशतः निर्धारित की जा सकती है।

3. 1 अप्रैल 1983 से प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए, धारा 24 (ए) के अन्तर्गत प्रदान किये जाने वाले अनुज्ञापन के लिए निर्धारित धनराशि के अतिरिक्त, ऐसे अनुज्ञापन पर बिकी के आधार पर ऐसेस्ड (Assesed) की गयी धनराशि, जो एसेस्ड (Assesed) फीस कहलायेगी, समस्त प्रकार की स्प्रिट, वाईन, लिकर तथा कार्डियेल की प्रत्येक क्वार्ट बोतल पर 5 रुपये प्रति बोतल की दर से तथा बियर स्टाउट तथा समस्त किण्वित शराब की प्रति मानक क्वार्ट बोतल पर 60 पैसे की दर से विदेशी मदिरा के थोक विक्रेताओं द्वारा वसूली जायेगी।

धारा 30क. संविधान के आरम्भ होने के समय लगाये जाने वाले उत्पाद शुल्कों के संबंध में अपवाद—

1. जब तक (संसद) द्वारा कोई प्रतिकूल व्यवस्था न की जाये, (राज्य सरकार) कोई ऐसा अपवाद शुल्क लगाना जारी रख सकती है जिस पर यह धारा लागू होती हो और जिसे वह (संविधान) के आरम्भ होने के ठीक पूर्व तत्समय प्रवृत्त इस अध्याय के अधीन विधिपूर्वक लगा रही थी।
2. उत्पाद शुल्क, जिन पर यह धारा लागू होती है, निम्नलिखित है—
  - क. कोई उत्पाद शुल्क जो ऐसी मादक वस्तुओं (या औषधीय या प्रसाधनिक विनिर्मितियों के विषय में हो जिनमें अल्कोहल हो) और इस अधिनियम के अर्थान्तर्गत उत्पाद शुल्कारोप्य न हों, और
  - ख. कोई उत्पाद शुल्क जो भारत के बाहर उत्पादित तथा (उत्तरांचल) में आयातित किसी उत्पाद-शुल्कारोप्य पदार्थ के विषय में हो, चाहे वह पदार्थ केन्द्रीय सरकार द्वारा यथापरिभाषित सीमा शुल्क सरहद के पार से आयातित हो अथवा नहीं।
3. इस धारा की कोई बात (राज्य सरकार) को कोई ऐसा उत्पाद शुल्क लगाने के लिए प्राधिकृत नहीं करेगी, जो इस (राज्य) में उत्पादित या निर्मित

सामानों तथा इसी प्रकार के ऐसे सामानों के बीच जो इस प्रकार उत्पादित या निर्मित न किये गये हों, पूर्वोक्त के पक्ष में विभेद करे अथवा जो (राज्य) के बाहर उत्पादित या निर्मित सामानों की दशा में, किसी एक क्षेत्र में निर्मित या उत्पादित सामानों तथा किसी दूसरे क्षेत्र में निर्मित या उत्पादित इसी प्रकार के सामान के बीच विभेद करे।

## अध्याय—6

### लाइसेन्स, परमिट तथा पास

धारा 31.लाइसेंस आदि के प्रपत्र तथा उनकी शर्तों—

इस अधिनियम के अधीन दिया गया प्रत्येक लाइसेंस, परमिट या पास—

- क. ऐसी फीसों, यदि कोई हो, का भुगतान करने पर,
- ख. ऐसे निर्बन्धनों और ऐसी शर्तों के अधीन दिया जायेगा।
- ग. ऐसे प्रपत्र में होगा और उसमें ऐसे ब्योरे दिये जायेंगे जैसा कि आबकारी आयुक्त तदर्थ या तो सामान्यतया या किसी विशेष दशा में निर्देश दें और
- घ. ऐसी अवधि के लिए और उस रीति से जैसा कि राज्य सरकार निर्देश दे, दिया जायेगा।

धारा 32.इस अधिनियम के आरम्भ होने के समय प्रवृत्त लाइसेंस के संबंध में अपवाद—

ऐसा प्रत्येक लाइसेंस जो एक्साइज एक्ट, 1896 की किसी धारा के अधीन दिया गया हो और जो इस अधिनियम के आरम्भ होने के समय प्रवृत्त हो, इस अधिनियम की तदुनुरूप धारा के अधीन दिया गया समझा जायेगा और (जब तक वह इस अध्याय के अधीन पहले ही रद्द, निलम्बित, वापस या समर्पित न कर दिया गया हो) उस अवधि तक प्रवृत्त रहेगा जिसके लिए वह दिया गया था।

धारा 33.लाइसेंस देने वाले प्राधिकारी की प्रतिरूप अनुबंध आदि के निष्पादन की अपेक्षा करने की शक्ति—

इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस देने वाला कोई प्राधिकारी लाइसेंस गृहीता से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह अपने लाइसेंस की अनुकृति के अनुरूप प्रतिरूप अनुबंध निष्पादित करे तथा ऐसे अनुबंध के पालनार्थ ऐसी प्रतिभूति दे या प्रतिभूति के बदले में ऐसी धनराशि जमा करे जैसी की ऐसा प्राधिकारी उचित समझे।

**धारा 34. लाइसेंसों आदि की रद्द या निलंबित करने की शक्ति—**

1. ऐसे निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए जिन्हें राज्य सरकार विहत करे इस अधिनियम के अधीन कोई लाइसेंस, परमिट या पास देने वाला प्राधिकारी उसे रद्द या निलम्बित कर सकता है—
  - क. यदि उसके धारक द्वारा देय किसी उत्पाद शुल्क या फीस का यथाविधि भुगतान न किया गया हो, या
  - ख. उस दशा में जब ऐसे लाइसेंस, परमिट या पास के धारक द्वारा उनके सेवकों द्वारा उसकी अभिव्यक्ति या विविक्षित अनुज्ञा से उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे लाइसेंस, परमिट या पास के निबंधनों या शर्तों में से किसी निबंधन या शर्त का उल्लंघन किया गया हो, या
  - ग. यदि उसका धारक इस अधिनियम के अधीन या राजस्व से संबंधित तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का या किसी संज्ञेय तथा अजमानतीय अपराध का (या अनिष्टकर औषधि द्रव्य अधिनियम 1930 के अधीन) या मर्चेन्डाइज मार्क्स एक्ट 1889 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का या भारतीय दण्ड संहिता की धारा 482 से 489 तक (दोनों धारायें सम्मिलित करके) के अधीन दन्डनीय किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, या
  - घ. यदि इस अधिनियम के अधीन किसी एकान्तिक विशेषाधिकार के गृहीता क आवेदन पत्र पर लाइसेंस, परमिट या पास दिया गया हो, तो ऐसे गृहीता द्वारा लिखित रूप से अधियाचन करने पर, या
  - ड. यदि लाइसेंस या परमिट की शर्तों में इच्छानुसार इस प्रकार रद्द या निलंबित किये जाने की व्यवस्था की गयी हो।

2. जब किसी व्यक्ति द्वारा धृत कोर्ट लाइसेंस, परमिट या पास उपधारा-1 के खन्ड-क, ख या ग के अधीन रद्द किया जाये, तो पूर्वोक्त प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन या आबकारी राजस्व से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन या ओपियम ऐक्ट, 1878 के अधीन (राज्य सरकार) द्वारा या उसके प्राधिकार से ऐसे व्यक्ति को दिये गये किसी अन्य लाइसेंस, परमिट या पास को रद्द कर सकता है।
- 3 इस धारा के अधीन लाइसेंस, आदि के रद्द या निलम्बित किये जाने के लिए कोई प्रतिकर या धनराशि के प्रतिदान का दावा न किया जा सकेगा—धारक इस धारा के अधीन अपने लाइसेंस, परमिट या पास के रद्द या निलम्बित किये जाने के लिए न तो किसी प्रतिकर के और न ही उसके संबंध में भुगतान की गयी किसी फीस या जमा की गयी किसी धनराशि के प्रतिदान का हकदार होगा।

**धारा 35 लाइसेंसों को रद्द करने की अग्रेत्तर शक्ति—**

1. जब कभी इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस देने वाला प्राधिकारी यह समझे कि ऐसा लाइसेंस धारा 34 में निर्दिष्ट कारणों से भिन्न किसी कारण से रद्द किया जाना चाहिये तो वह उसके संबंध में पन्द्रह दिनों के लिए देय फीस के बराबर राशि प्रेषित करेगा और लाइसेंस को या तो—
  - क. ऐसा करने के अपने अभिप्राय की पन्द्रह दिन की लिखित नोटिस की अवधि समाप्त हो जाने पर, या
  - ख. बिना नोटिस दिये तुरन्त ही रद्द कर सकता है।
- 2 रद्द किये जाने की दशा में प्रतिकर—यदि कोई लाइसेंस उपधारा 1 के खन्ड-ख के अधीन रद्द कर दिया जाये तो यथापूर्वोक्त प्रेषित राशि के अतिरिक्त लाइसेंसधारी को प्रतिकर के रूप में ऐसी और राशि का भुगतान किया जायेगा जैसा कि आबकारी आयुक्त निर्देश दे।

3. फीस जमा की गयी धनराशि का प्रतिदान—जब इस धारा के अधीन कोई लाइसेंस रद्द कर दिया जाये तो उसके संबंध में लाइसेंसधारी द्वारा अग्रिम भुगतान की गयी कोई फीस या जमा की गयी कोई धनराशि राज्य सरकार को देय धनराशि यदि कोई हो, काटकर उसे प्रतिदान की जायेगी।

#### धारा 36 फुटकर बिकी के लाइसेंस का समर्पण—

इस अधिनियम के अधीन फुटकर बिकी के किसी लाइसेंस का धारक लाइसेंस समर्पित करने के अपने अभिप्राय की अपने द्वारा कलेक्टर को दिये गये एक माह की लिखित नोटिस की अवधि व्यतीत हो जाने पर उसे और उस संपूर्ण अवधि के लिए जिसमें लाइसेंस जारी रहता, यदि ऐसा समर्पण न कर दिया गया होता, लाइसेंस के निमित्त देय फीस भुगतान करने पर अपना लाइसेंस समर्पित कर सकता है।

प्रतिबंध यह है कि यदि आबकारी आयुक्त का यह समाधान हो जाये कि ऐसा लाइसेंस समर्पित करने के लिए पर्याप्त कारण है तो वह समर्पण कर दिये जाने पर इस प्रकार देय धनराशि या उसका कोई अंश उसके धारक को प्रेषित कर सकता है।

**स्पष्टीकरण—**इस धारा में यथाप्रयुक्त शब्द 'लाइसेंस का धारक' में वह व्यक्ति भी सम्मिलित है जिसका लाइसेंस के निमित्त टेन्डर या बोली स्वीकार हो चुकी हो, यद्यपि उसे वास्तव में लाइसेंस प्राप्त न हुआ हो।

#### धारा 36 क. नवीनीकरण और प्रतिकर अधिकार पर रोक—

कोई व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस दिया गया हो, ऐसे लाइसेंस नवीनीकरण के लिए कोई दावा न कर सकेगा या न उसे समाप्त किये जाने पर या उसके नवीनीकृत न किये जाने पर प्रतिकर के लिए दावा कर सकेगा।

#### धारा 37. लाइसेंस आदि से प्राविधिक अनियमिततायें—

1. इस अधिनियम के अधीन दिया गया कोई लाइसेंस केवल इस कारण अविधिमान्य न समझा जायेगा कि उसमें या उसके दिये जाने से पूर्व की गयी किसी कार्यवाही में कोई प्राविधिक दोष, अनियमितता या लोप है।
2. प्राविधिक दोष, अनियमितता या लोप क्या है, इस संबंध में आबकारी आयुक्त का निर्णय अन्तिम होगा।

## अध्याय—6 क

### मद्यनिषेध के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध

धारा 37 क. मादक, वस्तुओं का आयात, निर्यात, परिवहन करने या कब्जे में रखने या उसका उसका उपभोग करने का निषेध—

1. उपधारा 4 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य या उसके किसी भाग में या वहां से किसी मादक वस्तु का आयात या निर्यात या उसका परिवहन निषिद्ध होगा।
2. धारा 20 में दी गयी किसी बात के होते हुए भी किन्तु उपधारा—4 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उत्तर प्रदेश या उसके किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र या क्षेत्रों में किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के व्यक्तियों द्वारा ऐसे अपवादों के यदि कोई विनिर्दिष्ट किये जायें, अधीन रहते हुए, सभी व्यक्तियों द्वारा किसी मादक वस्तु को कब्जे में रखना या उसका उपभोग करना अप्रतिबद्ध रूप में या ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो विनिर्दिष्ट की जाये, निषिद्ध होगा।
3. राज्य में मद्यनिषेध का क्रमिक प्रसार करने की नीति के अनुसरण में और प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार, निम्नलिखित किसी एक या अधिक कारणों को ध्यान में रखते हुए, समय—समय पर इस निमित्त भिन्न—भिन्न क्षेत्रों का चयन कर सकती है, अर्थात्—

क. किसी क्षेत्र का स्वरूप यथा—

एक. सरकार का मुख्यालय, या

दो. विद्या केन्द्र, या

तीन. तीर्थ या धार्मिक महत्व का स्थान, या

चार. पर्वतीय क्षेत्र, या

पांच. औद्योगिक क्षेत्र, या

छः. मद्यनिषेध वाले क्षेत्र में लगा हुआ क्षेत्र, या

- सात. अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की बस्ती, या
- ख. स्थानीय निवासियों की सामान्य आर्थिक स्थिति जिसके अन्तर्गत उनके आहार पुष्टिल और जीवन स्तर भी है, या
- ग. स्थानीय जनमत या
- घ. कोई अन्य संगत तथ्य जो राज्य सरकार की राय में लोक हित में सारવान हो।

प्रतिबंध यह है कि इस उपधारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि राज्य सरकार से अपने आदेश में उन तथ्यों की, जिनके आधार पर कोई विशिष्ट क्षेत्र मध्यनिषेध लागू करने के लिए किसी समय चुना जाये, उल्लिखित करना अपेक्षित है।

4. उपधारा 3 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वह क्षेत्र जिसमें उपधारा 1 के अधीन किसी मादक वस्तु के आयात, निर्यात या परिवहन पर, ओर जिसमें उपधारा (2) के अधीन किसी मादक पदार्थ को कब्जे में रखने या उसका उपभोग करने पर, निषेध का प्रसार किया जाये और वह दिनांक जिसमें किसी क्षेत्र में मध्यनिषेध प्रवृत्त हो, ऐसा होगा जिसे राज्य सरकार समय—समय पर अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।
5. किसी मध्यनिषेध क्षेत्र के संबंध में उपधारा 4 में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार या तो नियमों द्वारा या सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उपधारा 4 के अधीन अधिसूचना में उल्लिखित मादक वस्तुओं को या ऐसी मादक वस्तुओं में से किसी को, निम्नलिखित द्वारा या उनके प्रयोजनों के लिए, कब्जे में रखने या उसका उपभोग, आयात, निर्यात या परिवहन करने के संबंध में कोई छूट दे सकती है या शिथिलीकरण कर सकती है—
  - क. प्रतिरक्षा सेवाओं के सदस्य,
  - ख. मध्यनिषेध क्षेत्र में आने वाले या निवास करने वाले विदेशी,

- ग. मद्यनिषेध क्षेत्र से गुजरने वाले यात्री,
- घ. जिला चिकित्सालय या चिकित्सा महाविद्यालय, जिसमें औषधीय प्रयोजनों के लिए कोई मादक वस्तु अपेक्षित हो।
- ङ. धारा 17, 18, 21 और 24 के अधीन लाइसेंस धारण करने वाले व्यक्ति
- च. रेल, सड़क या वायुयान द्वारा मद्यनिषेध क्षेत्र से, को या होकर गुजरने वाले परेषण,
- छ.: औद्योगिक, वैज्ञानिक, शैक्षिक, औषधीय या धार्मिक प्रयोजन।
6. किसी छूट या शिथिलीकरण के संबंध में उपधारा 5 के अधीन दी जाये, राज्य सरकार या तो नियमों द्वारा या सामान्य या विशेष आदेश द्वारा ऐसे प्राधिकारी द्वारा जो विनिर्दिष्ट किया जाये, पास या परमिट दिये जाने की व्यवस्था कर सकती है।
7. उपधारा 4 में अभिदिष्ट अधिसूचना जारी कर दिये जाने पर इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस देने वाला प्राधिकारी लाइसेंस को, जहां तक उसका सम्बन्ध मद्यनिषेध क्षेत्र से है, बिना नोटिस तुरन्त निरस्त कर सकता है और वह तदुपरान्त लाइसेंस की असमाप्त अवधि के संबंध में देय शुल्क की धनराशि के बराबर धनराशि की छूट देगा ओर उसके संबंध में लाइसेंस धारी द्वारा अग्रिम रूप से दिये गये किसी शुल्क या जमा की गयी धनराशि को, उसमें से राज्य सरकार को देय धनराशि, यदि कोई घटाकर लौटा देगा, किन्तु लाइसेंसधारी को ऐसे निरसन के संबंध में धारा 35 में दी गयी किसी बात के होते हुए भी कोई प्रतिकर देय न होगा।
8. जहां उपधारा 7 के अधीन कोई लाइसेंस निरस्त किया जाये वहां लाइसेंसधारी अपने कब्जे की मादक वस्तुओं का निस्तारण उस प्रकार करेगा जैसा राज्य सरकार या आबकारी आयुक्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्देश दे।

प्रतिबन्ध यह है कि 1 मई 1972 को प्रारम्भ होने वाली और 25 जून, 1978 के साथ समाप्त होने वाली अवधि में किया गया ऐसा कोई कार्य या ऐसी कोई चूक मूल अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध होगी, जो यदि ऐसा प्रतिस्थापन न किया जाता तो कोई अपराध न होता।

## अध्याय—7

### सामान्य उपबन्ध

#### धारा 38 माप, बाट तथा परीक्षण यंत्र—

प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन दिये गये लाइसेंस के अधीन कोई मादक वस्तु निर्मित करता है या उसका विक्रय करता है—

- क. ऐसे माप, बाट या यन्त्र जिन्हें आबकारी आयुक्त विहित करें, की स्वयं व्यवस्था करने और उन्हें अच्छी दशा में रखने और
- ख. यदि ऐसे माप, बाट और यन्त्र विहित किये गये हों, तो तदर्थ यथाविधि अधिकृत किसी आबकारी अधिकारी द्वारा अधियाचन किये जाने पर किसी भी समय ऐसी मादक वस्तु का जो उसके कब्जे में हो, ऐसी रीति से माप लेने, तौल लेने या उसे परीक्षित करने, जैसा कि उक्त आबकारी अधिकारी अपेक्षा करे, के लिए बाध्य होगा।

#### धारा 38 क. आबकारी राजस्व के बकाया पर ब्याज—

1. जहां किसी आबकारी राजस्व का भुगतान करके उसके देय होने के दिनांक से तीन मास के भीतर न किया यगा हो, वहां चौबीस प्रतिशत प्रतिवर्ष से अनधिक दर पर जैसी विहित की जाये, ब्याज ऐसे आबकारी राजस्व के देय होने के दिनांक से वास्तविक भुगतान के दिनांक तक देय होगा—

प्रतिबंध यह है कि जब तक कोई उच्चदर विहितन की जाये, ब्याज की दर अट्ठारह प्रतिशत प्रतिवर्ष होगी—

अग्रतर प्रतिबंध यह है कि ऐसे आबकारी राजस्व के संबंध में, जो उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1985 के प्रारम्भ होने के पूर्व देय हो गया हो, उक्त दर पर ब्याज ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से देय होगा, यदि आबकारी राजस्व का भुगतान उक्त दिनांक के तीन मास के भीतर न किया जाये।

**स्पष्टीकरण—**इस उपधारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि उसमें किसी करार नीलामी के निबन्धनों या उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन), 1985 के प्रारम्भ के दिनांक के पूर्व दायर किये गये वादों या कार्यवाहियों में न्यायालय की किसी डिक्री को जो उक्त दिनांक के पूर्व पारित की गयी हो या उक्त दिनांक के पश्चात पारित की जाये, के अधीन ब्याज के भुगतान पर प्रभाव डालता है।

2. ऐसे ब्याज की वसूली पर धारा 39 के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार के आबकारी राजस्व की वसूली पर लागू होते हैं।

**धारा 39 आबकारी राजस्व की वसूली—**

सम्पूर्ण आबकारी राजस्व जिसमें वे धनराशियां भी सम्मिलित हैं, जो आबकारी राजस्व से सम्बन्धित किसी संविदा के कारण किसी व्यक्ति द्वारा सरकार को देय हों, उस व्यक्ति से जो प्रथमतः उसे भुगतान करने का जिम्मेदार हो या उसके प्रतिभू से यदि कोई हो, भू-राजस्व के बकाया के रूप में या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा लोक मांगों की वसूली के लिए व्यवस्थित रीति से वसूल किया जा सकता है। लाइसेन्स धारक द्वारा भुगतान करने में चूक किये जाने की दशा में कलेक्टर उस प्रदान को जिसके लिए लाइसेंस दिया गया है, भुगतान में चूक करने वाले के जोखिम पर प्रबन्ध में ले सकता है या उसको जब्त घोषित कर सकता है और भुगतान में चेक करने वाले व्यक्ति के जोखिम तथा हानि पर उसको पुनः विक्य कर सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि धारा 24 के अधीन दिये गये किसी एकान्तिक विशेषाधिकार का लाइसेंस देने वाले प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना न तो जब्त किया जायेगा या न इसका पुनः विक्य किया जायेगा।

#### धारा 40— राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति—

1. राज्य सरकार इस अधिनियम के या आबकारी राजस्व संबंधित तत्समय प्रवृत्त अन्य विधि के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

प्रतिबंध यह है कि यह समझा जायेगा कि इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा बनायी गयी उत्तर प्रदेश सरचार्ज शुल्क प्रणाली के अन्तर्गत अनुज्ञापन नियमावली 1968, जैसा कि वह समय—समय पर आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा संशोधित की गयी है, जब तक राज्य सरकार इस धारा के अधीन उसका परिवर्तन, निरसन या संशोधन न करे उसी प्रकार विधिमान्य और प्रभावी है और सर्वदा रही है, मानों उक्त नियमावली राज्य सरकार के द्वारा इस धारा के अधीन विधिवत बनायी गयी है।

2. विशेषतः और पूर्ववर्ती उपबन्ध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार निम्नलिखित के लिए नियम बना सकती है—

- क. धारा 10(2) (ज) अधीन { } आबकारी आयुक्त या कलेक्टर द्वारा किन्हीं शक्तियों को प्रतिनिहित किये जाने के लिए विनियमित करने के लिए,
- ख. आबकारी विभाग के अधिकारियों की शक्तियों तथा कर्तव्यों को विहित करने के लिए,
- ग. अपील या पुनरीक्षण प्रस्तुत करने के लिए रीति और ऐसे अपील और पुनरीक्षण के निस्तारण की प्रक्रिया विहित करना,
- घ. किसी मादक वस्तु के आयात, निर्यात, परिवहन या उसे कब्जे में रखने के लिए विनियमित करने के लिए,

- ड. उन अवधियों तथा क्षेत्रों को, जिनके लिए तथा उन व्यक्तियों को, जिन्हें किसी मादक वस्तु के थोक या फुटकर विक्रय के लिए लाइसेंस दिया जाये, विनियमित करने के लिए,
- च. किसी क्षेत्र के निमित्त ऐसे विक्रय का कोई लाइसेंस दिये जाने से पूर्व अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया तथा सुनिश्चित किये जाने वाले विषयों को विहित करने के लिए,
- छ.: किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी वर्ग को किसी मादक वस्तु का विक्रय करने का निषेध करने के लिए,
- ज. साक्षियों को खर्चा देने और समय की हानि के लिए उन व्यक्तियों को, जो धारा 49 के अधीन इस आधार पर छोड़े गये हों कि उन्हें अनुचित रूप से गिरफ्तार किया गया था और उन व्यक्तियों को, जिनपर मैजिस्ट्रेट के समक्ष इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराधों का आरोप लगाया गया हो, किन्तु वे दोषमुक्त हो गये हों, प्रतिकर देने के लिए,
- झ. धारा 49 के उपबन्धों के अधीन दूर से साक्षियों को आहूत करने की आबकारी अधिकारियों की शक्ति को विनियमित करने के लिए,
- ज. उन आबकारी अधिकारियों को, जिन्हें तथा उस रीति को, जिसके अनुसार धारा 56 के अधीन सूचना या सहायता दी जानी चाहिए घोषित करने के लिए,
- ट. अपने व्यवसाय में किसी भी हैसियत से सहायता देने के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी वर्ग को लाइसेंस धारक द्वारा सेवायोजित किये जाने का निषेध करने के लिए,

- ठ. लाइसेंस प्राप्त किसी भू—गृहादि में या उसके समीप नशे में रहने, जुआ खेलने और उत्पाती आचरण करने को और ऐसे भू—गृहादि के दुश्चरित्र व्यक्तियों के एकत्र होने या रहने को रोकने के लिए,
  - ड. अधिनियम के अधीन वसूल की गयी शमन फीस में से उसके पचास प्रतिशत तक कलेक्टर द्वारा और वसूल किये गये अर्थदण्ड में से उसके पचास प्रतिशत तक मामले पर विचारण करने वाले मैजिस्ट्रेट द्वारा, अधिकारियों, अधिकारियों या इत्तिला देने वालों को इनाम देने के लिए।
3. { } निकाल दिया गया।

**धारा—40 आबकारी आयुक्त की नियम बनाने की शक्ति—**

आबकारी आयुक्त, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के अधीन रहते हुए निम्नलिखित नियम बना सकता है—

- क. ऐसे मादक वस्तु के निर्माण, सम्भरण, भण्डारकरण या विक्रय को, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित है, विनियमित करना—
  1. ऐसे पदार्थ के निर्माण, सम्भरण, भाण्डारकरण या विक्रय के लिए किसी स्थान का परिनिर्माण करना, उसमें परिवर्तन करना, उसकी मरम्मत करना, उसका विरीक्षण, पर्यवेक्षण प्रबन्ध करना और उस पर नियंत्रण रखना तथा उसमें अनुरक्षित किये जाने वाले उपस्कर, औजार और उपकरण
  2. भांग के पौधे (कैसेविस सैटाइवा) की खेती करना,
  3. भांग के पौधे (कैसेविस सैटाइवा) के उन भागों का संग्रहण करना जिनसे कोई मादक भेषज निर्मित किया जा सकता हो और उनसे किसी मादक भेषज का निर्माण करना।

ख. किसी (मादक वस्तु) को भाण्डारगार में जमा किये जाने और किसी ऐसे भाण्डागार से या किसी आसवनी या यवासवनी से किसी मादक वस्तु के हटाये जाने को विनियमित करना,

ग. किसी मादक वस्तु के किसी लाइसेंस, परमिट या पास के लिए जिसमें धारा 24 या धारा 24 के अधीन किसी एकांतिक या अन्य विशेषाधिकार के लिए किया गया कोई प्रतिफल भी सम्मिलित है या उसके भण्डारकरण के लिए देय फीस का माप—मान या उसे निश्चित करने की रीति विहित करना,

(प्रतिबंध यह है कि इस खण्ड की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि यह राज्य सरकार को समय—समय पर अधिसूचना द्वारा कोई ऐसा विशेषाधिकार स्वीकृत किये जाने के प्रतिफल के भाग के रूप में कोई फीस, जिसके अन्तर्गत विक्रय बैण्ड फीस भी है, लगाने से रोकती है।)

### स्पष्टीकरण

1. विभिन्न वर्गों के लाइसेन्स, परमिट, पास या भण्डारकरण के लिए, और विभिन्न क्षेत्रों के लिए इस उपखण्ड के अधीन फीस विभिन्न दरों पर विहित की जा सकती है।
2. ऐसी फीस या प्रतिफल निश्चित करने की रीति के अन्तर्गत निम्नलिखित कोई एक या अधिक रीति भी है, अर्थात्—
  - (1) नीलाम
  - (2) टेंडर आमंत्रित करना,
  - (3) लाइसेंस, परमिट या पास के अधीन किये गये विक्रय या उठाये गये कोटा के आधार पर निर्धारण।
- घ. किसी उत्पाद शुल्क या फीस के भुगतान का समय, स्थान और रीति को विनियमित करना,

- ड. उन निर्बन्धनों को, जिनके अधीन तथा उनकी शर्तों को जिनके अनुसार कोई लाइसेंस, परमिट या पास दिया जा सकता है जिनमें निम्नलिखित विषयों के लिए व्यवस्था सम्मिलित है, विहित करना—
1. किसी (मादक वस्तु) के साथ किसी ऐसी वस्तु को, जो दुर्गन्धयुक्त और आपत्तिजनक समझी जाये, सम्मिश्रण करने का निषेध करना,
  2. किसी लाइसेंस प्राप्त निर्माता या लाइसेंस प्राप्त विक्रेता द्वारा किसी शराब की उच्च सान्द्रता को कम करके उसे निम्न सान्द्रता का बनाने को विनियमित करना या उसका निषेध करना,
  3. उस सान्द्रता, मूल्या या परिमाण को जिससे अधिक या कम किसी मादक वस्तु का विक्रय या सम्भरण न किया जायेगा तथा उस परिमाण को जिससे अधिक विकृत स्प्रिट कब्जे में न रखी जा सकेंगी, निश्चित करना तथा किसी मादक वस्तु के गुण व मानदण्ड विहित करना,
  4. नकद विक्रय के सिवाय अन्यथा विक्रय का निषेध करना,
  5. उन दिनों या घंटों को निश्चित करना जिनमें कोई लाइसेंस प्राप्त भू—गृहादि खुले रखे जायें या खुले न रखे जायें और ऐसे भू—गृहादि को विशेष अवसरों पर बन्द रखना,
  6. उन भू—गृहादि के स्वरूप का विशिष्ट विवरण जिनमें किसी मादक वस्तु का विक्रय किया जाये तथा ऐसे भू—गृहादि में प्रदर्शित किये जाने वाले नोटिस,
  7. लाइसेंस धारकों द्वारा रखे जाने वाले लेखों का प्रपत्र तथा उनके द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियां, और
  8. लाइसेंसों के अन्तरण का विनियमन।
- च. 1. उस प्रक्रिया को घोषित करना जिसके अनुसार { निकाला गया }

भारत में निर्मित स्प्रिट विकृत की जायेगी।

3. अपने अधिकारियों के अभिकरण द्वारा या उसके पर्यवेक्षण में ऐसी स्प्रिट की विकृति कराना।
4. यह सुनिश्चित करना कि ऐसी स्प्रिट विकृत की गयी है या नहीं,
- छ. किसी ऐसी मादक वस्तु को, जो प्रयोग के लिए अयोग्य समझी जाये, नष्ट करने की या अन्य प्रकार से उसके निस्तारण की व्यवस्था करना।
- ज. जब्त किये गये पदार्थों के निस्तारण को विनियमित करना।

## अध्याय—8

### ताड़ी के निर्माण सम्भरण और विक्रय के संबंध में विशेष उपबन्ध

#### धारा—42. ताड़ी का निर्माण—

सिवाय इस लाइसेंस के प्राधिकार तथा उसके निबन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जो कलेक्टर द्वारा तदर्थ या धारा 45 के उपबन्धों के अधीन दिया जाये, उन स्थानीय क्षेत्रों में जहां राज्य सरकार इस प्रकार अधिसूचित करे—

- क. ताड़ी पैदा करने वाला कोई वृक्ष छिद्रित न किया जायेगा,
- ख. किसी वृक्ष से ताड़ी न निकाली जायेगी।

प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे स्थानीय क्षेत्र में राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकती है कि ये उपबन्ध उन वृक्षों पर लागू न होंगे जो ऐसी विशेष दशाओं में, जो आबकारी आयुक्त द्वारा विहित की जाये, छिद्रित किये गये हों या जिनसे ताड़ी निकाली गयी है।

#### धारा 43. ताड़ी का विक्रय—

यथापूर्वोक्त किसी ऐसे क्षेत्र में कोई ऐसा व्यक्ति जिसे किसी वृक्ष से निकाली गयी ताड़ी का अधिकार प्राप्त हो उस ताड़ी का बिना लाइसेंस के विक्रय ऐसे व्यक्ति को कर सकता है जिसे इस अधिनियम के अधीन ताड़ी का निर्माण करने या विक्रय करने का लाइसेंस प्राप्त हो।

धारा 44. धारा 42 के उपबन्धों से उस क्षेत्र को जिसमें ताड़ी के निर्माण आदि के लिए एकान्तिक विशेषाधिकार दिया गया हो, विमुक्त करने की राज्य सरकार की शक्ति— यदि धारा 24 के उपबन्धों के अधीन किसी स्थानीय क्षेत्र में ताड़ी निर्मित करने, सम्भरित करने या उसका विक्रय करने करने के लिए एकान्तिक विशेषाधिकार का लाइसेंस दिया गया हो

तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकती है कि धारा 42 के उपबन्ध ऐसे क्षेत्र पा लागू न होंगे।

**धारा—45.** ताड़ी निर्माण के लिए एकान्तिक विशेषाधिकार गृहीता द्वारा लाइसेंस दिया जाना—यदि धारा 24 के अधीन ताड़ी के निर्माण के लिए एकान्तिक विशेषाधिकार का लाइसेंस दिया गया तो राज्य सरकार यह घोषित कर सकती है कि ताड़ी निकालने के लिए लाइसेंस गृहीता की लिखित अनुज्ञा का वही बल और प्रभाव होगा जो धारा 42 के अधीन कलेक्टर द्वारा इस प्रयोजन के लिए दिये लाइसेंस का हो।

**धारा—46.** ताड़ी पर उत्पाद शुल्क— धारा 42 के अधीन दिये गये किसी लाइसेंस के अधीन निर्मित किसी ताड़ी पर कोई उत्पाद शुल्क ऐसी दरों पर जैसा कि राज्य सरकार निर्देश देगी या तो सामान्यतया या किसी निर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र के लिए लगाया जा सकता है। { ऐसा शुल्क प्रत्येक छिद्रित वृक्ष पर या उस वृक्ष पर जिससे ताड़ी निकाली जाये, कर द्वारा लगाया जायेगा और इसकी दर धारा 28 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए निश्चित की जायेगी और प्रति वृक्ष एक वर्ष या उसके भाग के लिए साठ रूपये से अधिक न होगा}

**धारा—47.** नियम बनाने की शक्ति— विशेषतः तथा पूर्ववर्ती उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार किसी ऐसे क्षेत्र में जिसमें धारा 42 के उपबन्ध लागू किये गये हों, ताड़ी पैदा करने वाले वृक्षों के छिद्रण और ऐसे वृक्षों से ताड़ी निकालने, ऐसे वृक्षों को चिन्हित करने और ऐसे चिन्हों के अनुरक्षण को विनियमित करने के लिए नियम बना सकती है।

## अध्याय—9

### अधिकारियों आदि की शक्तियां तथा कर्तव्य

धारा—48. निर्माण के तथा विक्रय के स्थानों में प्रवेश करने तथा उनका निरीक्षण करने की शक्ति—

आबकारी आयुक्त या कलेक्टर या आबकारी विभाग का कोई अधिकारी जो उस पंक्ति से निम्न पंक्ति का न हो जिसे राज्य सरकार विहित करे या यथाविधि तदर्थ अधिकृत कोई पुलिस अधिकारी किसी ऐसे स्थान में जिसमें कोई लाइसेंस प्राप्त निर्माणकर्ता किसी मादक वस्तु का निर्माण करता हो या उसका भण्डारकरण करता हो किसी भी समय दिन अथवा रात्रि में प्रवेश कर सकता है और उसका निरीक्षण कर सकता है और किसी ऐसे स्थान में जिसमें किसी लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति द्वारा कोई मादक वस्तु विक्रय के लिए रखी जाती हो, ऐसे घंटों के भीतर जब विक्रय करने की अनुज्ञा हो तथा किसी अन्य समय में जब वह खुला हो, किसी भी समय प्रवेश कर सकता है और उसका निरीक्षण कर सकता है और ऐसे स्थान में पाये गये किन्हीं सामानों, भभकों, बर्तनों, औजारों, उपकरणों या मादक वस्तु की जांच कर सकता है, परीक्षण कर सकता है, माप ले सकता है या तौल सकता है और किन्हीं ऐसे मापों, बांटों या परीक्षण यन्त्रों का, जिनके संबंध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि वे खोटे हैं, अभिग्रहण कर सकता है।

धारा—49. इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराधों का अन्वेषण करने की कतिपय अधिकारियों की शक्तियां—

1. कोई पुलिस अधिकारी जो पंक्ति में किसी उप निरीक्षण से निम्न पंक्ति का न हो तथा आबकारी विभाग का कोई अधिकारी जो उस पंक्ति से निम्न पंक्ति का न हो जिसे राज्य सरकार विहित करे इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी ऐसे अपराध का अन्वेषण कर सकता है जो उस क्षेत्र की परिसीमाओं के भीतर किया गया हो जिसमें ऐसा अधिकारी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता हो।

2. कोई ऐसा अधिकारी ऐसे अन्वेषण के संबंध में उन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जिसका थाने का प्रभारी अधिकारी दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 के अध्याय 12 के उपबन्धों के अधीन किसी संज्ञेय मामले में प्रयोग कर सकता है और यदि ऐसा अधिकारी राज्य सरकार द्वारा तदर्थ विशेष रूप से अधिकृत किया गया हो तो वह बिना किसी मजिस्ट्रेट को अभिदेश किये और उन कारणों से जिन्हें वह लिखित रूप में अभिलिखित करें किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध अग्रेत्तर कार्यवाही रोक सकता है जो इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी ऐसे अपराध से, जिसके सम्बन्ध में उसने अन्वेषण किया हो, सम्बन्धित हो या जिसे सम्बन्धित होने की संभावना होने की कल्पना की जाती हो।

**धारा—50 गिरफ्तार करने, अभिग्रहण करने और निरुद्ध करने की शक्तियां—**

आबकारी, पुलिस, नमक, अफीम या भू—राजस्व विभाग का कोई भी अधिकारी, जो उस पंक्ति से निम्न पंक्ति का न हो जिसे और ऐसे निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए जिन्हें राज्य सरकार विहित करे और यथाविधि तदर्थ अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति बिना वारन्ट के किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो धारा 60, धारा 62, धारा 63 या धारा 65 के अधीन दण्डनीय अपराध करता हुआ पाया जाये, और किसी ऐसे मादक वस्तु को या किसी अन्य सामान को अभिगृहीत और निरुद्ध कर सकता है जिसके संबंध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि वह इस अधिनियम के या आबकारी राजस्व से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन जब्त किये जाने योग्य है और किसी ऐसे व्यक्ति को और किसी ऐसे जलयान, गाड़ी, पशु, पात्र या आवरण को निरुद्ध कर सकता है और उसकी तलाशी ले सकता है जिस पर या जिसमें उसे ऐसे सामान के होने के संदेह करने का उचित कारण हो।

**धारा—51 गिरफ्तारी का वारन्ट जारी करने की कलेक्टर की शक्ति—**

कलेक्टर किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए वारन्ट जारी कर सकता है जिसके संबंध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि उसने धारा 60, धारा 62, धारा 63 या धारा 65 के अधीन कोई दण्डनीय अपराध किया है।

**धारा—52 तलाशी का वारन्ट जारी करने की कलेक्टर या मजिस्ट्रेट की शक्ति—**

यदि प्राप्त सूचना के आधार पर कलेक्टर या मजिस्ट्रेट को यह विश्वास करने का कारण हो कि धारा 60, धारा 62 या धारा 63 या धारा 65 के अधीन कोई दण्डनीय अपराध किया गया है या किये जाने की संभावना है तो वह किसी ऐसी मादक वस्तु, सामान, भभका, बर्तन, औजार या उपकरणों की तलाशी के लिए वारन्ट जारी कर सकता है जिसके संबंध में अभिकथित अपराध किया गया हो या किये जाने की संभावना हो।

**धारा—53 बिना वारन्ट के तलाशी लेने की कलेक्टर या आबकारी विभाग के अधिकारी की शक्ति—**

1. जब कभी कलेक्टर को या आबकारी विभाग के ऐसे अधिकारी को जो उस पंक्ति से निम्न पंक्ति का न हो, जिसे राज्य सरकार विहित करे या ऐसे पुलिस अधिकारी को जो पंक्ति में उप निरीक्षक से निम्न पंक्ति का नहो यह विश्वास करने का कारण हो कि धारा 60, धारा 61, धारा 62, धारा 63 या धारा 65 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किसी स्थान में किया गया है, किया जा रहा है या किये जाने की संभावना है और अपराधी को भाग जाने या अपराध का साक्ष्य छिपाने का अवसर दिये बिना तलाशी का वारन्ट प्राप्त नहीं किया जा सकता है तो वह किसी भी समय, दिन अथवा रात्रि में, ऐसे स्थान में प्रवेश कर सकता है और उसकी तलाशी ले सकता है।

प्रतिबंध यह है कि कलेक्टर से भिन्न कोई अधिकारी जो इस उपधारा के अधीन कार्यवाही करे, ऐसे स्थान में प्रवेश करने से पूर्व यथापूर्वोक्त अपने विश्वास के कारणों को अभिलिखित करेगा।

2. अभिग्रहण करने, निरुद्ध करने, तलाशी लेने और गिरफ्तार करने की अग्रेत्तर शक्तियां—यथापूर्वोक्त कलेक्टर या अन्य अधिकारी ऐसे स्थान में पायी गयी किसी ऐसी वस्तु को अभिगृहीत कर सकता है जिसके संबंध में उसे यह विश्वास करने का कारण हापे कि वह इस अधिनियम के अधीन जब्त किये जाने योग्य है और ऐसे स्थान में पाये किसी ऐसे व्यक्ति को निरुद्ध कर सकता है तथा उसकी तलाशी ले सकता है और यदि वह उचित समझे तो उसे गिरफ्तार कर सकता है जिसके संबंध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि वह यथापूर्वोक्त अपराध का दोषी है।

धारा—54 गिरफ्तारी, तलाशियों आदि के संबंध मे प्रक्रिया—

गिरफ्तारियों, तलाशियों, तलाशी के वारन्टों, गिरफ्तार किये व्यक्तियों को प्रस्तुत करने तथा अपराधों का अन्वेषण करने के संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन उनके सम्बन्ध में की गयी समस्त कार्यवाहियों पर यथा शक्य लागू होंगे।

प्रबिन्ध है कि धारा 60, { निकाल दिया गया} धारा 61, (धारा 62, धारा 64 क या धारा 65) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का अन्वेषण बिना किसी मजिस्ट्रेट के आदेश के किया जा सकता है तथा 51 अथवा धारा 52 के अधीन कलेक्टर द्वारा जारी किये गये किसी वारन्ट का निष्पादन किसी ऐसे अधिकारी द्वारा किया जा सकता है जिसका कलेक्टर द्वारा उस प्रयोजन के लिए चयन किया जाये।

धारा—55 कपितय अपराध अजमानतीय होंगे—

धारा 60 की उपधारा 2, धारा 62 और धारा 64—के अधीन दण्डनीय समस्त अपराध दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अर्थान्तर्गत अजमानतीय होंगे।

**धारा—56 आबकारी विभाग के अधिकारियों को अपराधों की सूचना देने तथा उनकी सहायता करने का कर्तिपय विभागों के अधिकारियों का कर्तव्य—**

पुलिस, नमक, अफीम तथा भू—राजस्व विभाग का प्रत्येक अधिकारी आबकारी विभाग के अधिकारी को इस अधिनियम के उपबन्धों में से किसी उपबन्ध के ऐसे समस्त उल्लंघनों की जो उसकी जानकारी में आये, तूरन्त सूचना देने के लिए और ऐसे अधिकारी द्वारा निवेदन किये जाने पर इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में आबकारी विभाग के किसी अधिकारी की सहायता करने के लिए बाध्य होगा।

**धारा—57 स्वामी, अध्यासी, लेखपाल या ग्राम्य पुलिस कर्मचारियों का कुछ बातों की सूचना देने का कर्तव्य—**

प्रत्येक व्यक्ति जिसके स्वामित्व अथवा अध्यासन में कोई ऐसी भूमि या भवन हो जिस पर या जिसमें किसी मादक वस्तु का कोई अवैध निर्माण हुआ हो, या किन्हीं ऐसे पौधों की कोई अवैध खेती या संग्रहण हुआ हो जिनसे मादक भेषज तैयार किया जा सकता हो और ऐसे स्वामी या अध्यासी का अभिकर्ता और ऐसे जलयान या गाड़ी का, जिसमें इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रतिकूल किसी मादक वस्तु का निर्माण किया जाये, प्रत्येक स्वामी, और प्रत्येक लेखपाल अथवा ग्राम पुलिस कर्मचारी जिसके अधिकार क्षेत्र में ऐसी भूमि या भवन स्थित हो अथवा जलयान या गाड़ी पायी जाये तत्सम्बन्धी सूचना जानकारी में आने पर सिवाय उस दिशा में जबकि उसके द्वारा ऐसा न करने के लिए उचित कारण हो, तूरन्त ही किसी मजिस्ट्रेट या आबकारी पुलिस अथवा राजस्व विभाग के किसी अधिकारी को देने के लिए बाध्य होगा।

**धारा—58 थाने के प्रभारी अधिकारी का अभिगृहीत सामानों को प्रभार में लेने का कर्तव्य—**

थाने के प्रत्येक प्रभारी अधिकारी इस अधिनियम के अधीन अभिगृहीत समस्त सामानों को जो उसे दिये जायें, किसी मजिस्ट्रेट या कलेक्टर का आदेश

होने तक अपने प्रभार में ले लेगा और उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा और आबकारी विभाग के किसी ऐसे अधिकारी को जो ऐसे सामानों के साथ थाने तक जाये या जो इस प्रयोजन के लिए अपने वरिष्ठ अधिकारी द्वारा प्रति नियुक्त किया जाये, ऐसे सामानों पर अपनी मुहर लगाने और उनके तथा उनसे नमूने लेने की अनुज्ञा देगा। इस प्रकार लिये गये समस्त नमूनों पर थाने के प्रभारी अधिकारी की भी मुहर लगायी जायेगी।

**धारा—59 लोक शांति के निमित्त दुकानें बंद करने की शक्ति—**

जिला मजिस्ट्रेट लाइसेंसधारी को लिखित नोटिस देकर यह अपेक्षा कर सकता है कि कोई भी दुकान जिसमें किसी मादक वस्तु का विक्रय किया जाता हो ऐसे समयों पर या ऐसी अवधि के लिए बन्द रखी जाये जिसे वह लोक शांति बनाये रखने के लिए आवश्यक समझे।

यदि किसी ऐसी दुकान के समीप्य में कोई दंगा होने की या व्यक्तियों का अवैध जमाव होने की आशंका हो या वह हो जाये तो किसी भी श्रेणी का मजिस्ट्रेट या कांस्टेबिल से उच्च पंक्ति का कोई पुलिस अधिकारी जो उपस्थित हो, ऐसी दुकान को उस अवधि के लिए बन्द रखने की अपेक्षा कर सकता है जिसे वह आवश्यक समझे।

प्रतिबन्ध यह है कि जहां कोई ऐसा दंगा हो जाये या व्यक्तियों का अवैध जमाव हो जाये तो लाइसेंसधारी ऐसे मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में बिना किसी आदेश के दुकान बन्द कर देगा।

## अध्याय—10

### अपराध और शास्ति

धारा—60. अवैध आयात, निर्यात, परिवहन, निर्माण, कब्जा, विक्रय आदि के लिए शास्ति—

1. जो व्यक्ति इस अधिनियम का या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी नियम या दिये गये किसी आदेश का अथवा इसके अधीन प्राप्त किसी लाइसेंस, परमिट या पास का उल्लंघन करके—
  - क. चरस से भिन्न किसी मादक वस्तु का आयात, निर्यात या परिवहन करता है या उसको अपने कब्जे में रखता है, या
  - ख. भांग (कैनेबिस सैटाइवा) की खेती करता है, या
  - ग. भांग (कैनेबिस सैटाइवा) के किसी ऐसे भांग का संग्रह या विक्रय करता है, जिससे कोई मादक भेषज निर्मित किया जा सकता है, या
  - घ. कोई आसवनी, यवासवनी या द्राक्षासवनी निर्मित करता है या चलाता है, या
  - ड. किसी प्रकार का कोई सामान, भभका, बर्तन, औजार या उपकरण ताड़ी से भिन्न किसी मादक वस्तु के निर्माण के लिए प्रयुक्त करता है या अपने पास या अपने कब्जे में रखता है, या
  - च. इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस प्राप्त, स्थापित या चालू किसी आसवनी, यवासवनी, द्राक्षासवनी या भाण्डारगार से कोई मादक वस्तु हटाता है, या
  - छ. विक्रय के लिए किसी शराब को बोतल में बंद करता है, या
  - ज. धारा 61 में व्यवस्थित दशा के सिवाय किसी मादक वस्तु का विक्रय करता है,

झ. धारा 42 के अधीन अधिसूचित क्षेत्रों में ताड़ी पैदा करने वाले वृक्षों से ताड़ी चुआता है या निकालता है,

तो उसे कारावास का दण्ड दिया जायेगा जो दो वर्ष तक हो सकता है और अर्थदण्ड दिया जायेगा जो खण्ड झ के अधीन अपराध की स्थिति में ऐसे उत्पाद शुल्क की धनराशि जो, यदि ऐसी मादक वस्तु के संबंध में इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों और दिये गये आदेशों के अनुसार या इसके अधीन प्राप्त लाइसेंस, परमिट या पास के अनुसार कार्यवाही की गयी होती तो उद्ग्रहणीत होती, के दस गुने से कम न होगा और किसी अन्य स्थिति में ऐसे उत्पाद-शुल्क की धनराशि के दस गुने या पांच हजार रूपये से, जो भी अधिक हो कम न होगा।

2. जो कोई इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम या दिये गये आदेश या इस अधिनियम के अधीन प्राप्त किसी लाइसेंस, परमिट या पास का उल्लंघन करके किसी मादक वस्तु का निर्माण करता है, उसे कारावास का जो छ: मास से कम नहीं होगा और जो तीन वर्ष तक हो सकता है दण्ड दिया जायेगा और अर्थदण्ड भी दिया जायेगा जो पांच हजार रूपये से कम नहीं होगा और जो दस हजार रूपये तक हो सकता है।
3. जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम या किये गये आदेश का उल्लंघन करके किसी मादक वस्तु का उपभोग करता है उसे अर्थदण्ड दिया जायेगा जो पांच हजार रूपये से कम नहीं होगा और जो दस हजार रूपये तक हो सकता है।

धारा-60 क. कोकीन से सम्बन्धित कोई अपराध करने के स्थान का प्रयोग करने पर शक्ति { } निकाल दिया गया।

धारा-60 ख. कोकीन से सम्बन्धित अपराधों से प्रविरत रहने के लिए प्रतिभूति{ } निकाल दिया गया।

धारा—61 इककीस वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के साथ अवैध रूप से बेचने अथवा  
इककीस वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों या महिलाओं को सेवायोजित करने के  
लिए शक्ति—यदि कोई लाइसेंस प्राप्त विकेता अथवा उसके सेवायोजन में और  
उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति—

क. धारा 22 का उल्लंघन करके कोई शराब या मादक भेषज किसी ऐसे व्यक्ति को  
बेचता है या देता है जो स्पष्टतः इककीस वर्ष से कम आयु का हो, या

ख. धारा 23 का उल्लंघन करके अपने लाइसेंस प्राप्त भू—गृहादि के किसी भाग में  
जिसका उल्लेख उक्त धारा में किया गया है, इककीस से कम आयु के किसी  
व्यक्ति को या किसी महिला को, सेवायोजन में रखता है अथवा सेवायोजित  
करने की अनुज्ञा देता है तो उसे अर्थदण्ड दिया जायेगा जो एक हजार रुपये  
तक हो सकता है।

धारा— 62 विकृत स्प्रिट को मानव उपभोग के योग्य बनाने के लिए शास्ति—

जो कोई किसी ऐसी स्प्रिट को, चाहे वह भारत में निर्मित हुई हो या नहीं,  
जो विकृत हो गयी हो, मानव उपभोग के योग्य बनाता है या बनाने का प्रयास  
करता है या कब्जे में कोई ऐसी विकृत स्प्रिट रखता है जो मानव उपभोग के योग्य  
बनायी गयी हो या जिसके संबंध में उसे इस योग्य बनाने का कोई प्रयास किया  
गया हो तो उसे ऐसी अवधि के लिए जो छः माह से कम नहीं होगी और जो तीन  
वर्ष तक हो सकती है कारवास का दण्ड दिया जायेगा और यह अर्थदण्ड से भी जो  
पांच हजार रुपये तक हो सकता है, दन्डनीय होगा।

**स्पष्टीकरण—**इस धारा के प्रयोजनार्थ यह उपधारणा की जायेगी कि कोई स्प्रिट  
जिसके बारे में यह साबित हो जाये कि उसमें किसी मात्रा में विकारक तत्व हैं,  
विकृत स्प्रिट है या उसमें विकृत स्प्रिट मिला है या वह विकृत स्प्रिट व्युत्पन्न है।

**धारा—63. अवैध रूप से आयात की गयी मादक वस्तु आदि को कब्जे में रखने के लिए शास्ति—**

जो कोई व्यक्ति बिना वैध प्राधिकार के कोई मादक वस्तु किसी परिमाण में अपने कब्जे में यह जानते हुए कि उसे अवैध रूप से आयात किया गया है, उसका परिवहन किया गया है या उसे निर्मित किया गया या यह जानते हुए कि उस पर विहित उत्पाद शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है, रखे तो उसे ऐसी अवधि के लिए कारावास का दण्ड दिया जायेगा जो एक वर्ष तक हो सकता है अथवा अर्थ दण्ड दिया जायेगा जो पांच हजार रुपये से कम नहीं होगा और जो दस हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों दण्ड दिये जायेंगे।

**धारा—64 लाइसेंसधारी या उसके सेवक द्वारा कतिपय कार्यों के लिए शास्ति—**

जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिये गये किसी लाइसेंस, परमिट या पास को धारक होते हुए हुए या ऐसे धारक के सेवायोजन में होते हुए और उसकी ओर से कार्य करते हुए—

- क. किसी आबकारी अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा मांगे जाने पर जो इस प्रकार मांगने के लिए सम्यक रूप से अधिकृत हो ऐसा लाइसेंस परमिट या पास प्रस्तुत नहीं करता है, या
- ख. लाइसेंस, परमिट या पास की किन्हीं शर्तों का उल्लंघन करके जानबूझकर कोई ऐसा कार्य या कार्यलोप करता है जिसके संबंध में इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्ध न हो, या
- ग. ऐसे मामले, जिसके लिए धारा 60 में उपबन्ध है, से भिन्न किसी मामले में धारा 40 के अधीन बनाये गये किसी नियम का जानबूझ कर उल्लंघन करता है उसे,

प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए अर्थदण्ड, जो दो हजार रुपये तक हो सकता है, दिया जायेगा।

धारा—64 क. लाइसेंस प्राप्त विक्रेता या निर्माता द्वारा अपमिश्रण आदि के लिए शास्ति—

1. जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी मादक वस्तु के विक्रय या निर्माण के लिए लाइसेंस धारक होते हुए, या ऐसे धारक के सेवायोजन में होते हुए अपने द्वारा विक्रीत या निर्मित मादक वस्तु में कोई हानिकारक भेषज या कोई अनुपयुक्त तत्व जिससे उसकी वास्तविकता या आभाषित मादकता या सान्द्रता बढ़ने की संभावना हो या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी नियम द्वारा निषिद्ध कोई पदार्थ मिलाता है या मिलाने की अनुज्ञा देता है तो जब ऐसा मिश्रण भारतीय दण्ड संहिता की धारा 272 के अधीन अपमिश्रण के अपराध की कोटि में न आता हो, उसे कारावास का दण्ड जो छः मास से कम न होगा और जो तीन वर्ष तक हो सकता है और अर्थदण्ड भी, जो एक हजार रुपये से कम न होगा और जो दो हजार तक हो सकता है, दिया जायेगा।
2. जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी मादक वस्तु के विक्रय या निर्माण के लिए लाइसेंस धारक होते हुए या ऐसे धारक के सेवायोजन में होते हुए किसी ऐसी शराब जिसके बारे में वह जानता है या उसे विश्वास करने का कारण है कि वह देशी शराब है, विदेशी शराब के रूप में विक्रय करता है या विक्रयार्थ रखता है या प्रदर्शित करता है उसे कारावास का दण्ड जो तीन वर्ष तक हो सकता है और अर्थदण्ड जो दो हजार रुपये तक हो सकता है, दिया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि दण्ड निम्नलिखित से कम न होगा:—

- (क) प्रथम अपराध के लिए तीन मास का कारावास और दो सौ रुपया का अर्थदण्ड, और
- (ख) प्रत्येक द्वितीय और अनुवर्ती अपराधों के लिए छः मास का कारावास और पांच सौ रुपये का अर्थदण्ड।

**धारा—65 कैमिस्ट की दुकान आदि में उपभोग करने के लिए शास्ति—**

1. यदि कोई कैमिस्ट, औषधि विक्रेता, औषधिक या कोई औषधालय रखने वाला किसी ऐसी मादक वस्तु को जिसे यथार्थ रूप में औषधीय प्रयोजन के लिए औषधियुक्त न किया गया हो, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो उसके व्यवसाय में सेवयोजित न हो, अपने व्यवसाय के भू—गृहादि में उपभोग किये जाने की अनुज्ञा देता है तो उसे ऐसी अवधि के लिए कारावास का दण्ड दिया जायेगा जो छः माह तक हो सकता है या अर्थदण्ड दिया जायेगा जो दो हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों दण्ड दिये जायेंगे।
2. यदि कोई व्यक्ति जो पूर्ववत् प्रकार से सेवायोजित न हो ऐसे भू—गृहादि में किसी ऐसी मादक वस्तु का उपभोग करता है तो उसे अर्थदण्ड दिया जायेगा जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है।

**धारा—66 कर्तव्य पालन करने से इंकार करने पर आबकारी अधिकारी के लिए शास्ति—**

किसी ऐसे आबकारी अधिकारी को, जो बिना वैध कारण के अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने से परिवरत हो जाये या उनका पालन करने से इंकार कर दे या उनका पालन न करे जब तक आबकारी आयुक्त द्वारा उसे ऐसा करने की अभव्यक्ति रूप में लिखित अनुज्ञा न दी गयी हो या जब तक उसने अपने वरिष्ठ अधिकारी को ऐसा करने के अपने अभिप्राय का दो माह का नोटिस न दे दिया हो, कारावास का दण्ड दिया जायेगा जो तीन माह क हो सकता है या अर्थदण्ड दिया जायेगा जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है, या दोनों दण्ड दिये जायेंगे।

**धारा—67 क्षोभकारी तलाशी आदि लेने वाले आबकारी अधिकारी के लिए शास्ति—**

यदि कोई आबकारी अधिकारी—

- (क) सन्देह के उचित कारणों के बिना किसी स्थान में प्रवेश करता है, उसका निरीक्षण करता है या उसकी तलाशी लेता है अथवा उसमें प्रवेश

करवाता है, उसका निरीक्षण करवाता है या उसकी तलाशी लिवाता है,  
या

- (ख) इस अधिनियम के अधीन जब्त किये जाने योग्य किसी पदार्थ को  
अभिगृहीत करने या उसकी तलाशी लेने के बहाने किसी व्यक्ति की  
किसी सम्पत्ति को क्षोभकारी और अनावश्यक रूप से अभिगृहीत करता  
है, या
- (ग) किसी व्यक्ति को क्षोभकारी या अनावश्यक रूप से निरुद्ध करता है  
उसकी तलाशी लेता है या उसे गिरफ्तार करता है तो उसे ऐसी अवधि  
के लिए कारावास का दण्ड दिया जायेगा जो तीन माह या अर्थदण्ड  
दिया जायेगा जो पांच सौ रुपये अथवा दोनों दण्ड दिये जायेंगे।

**धारा—68. ऐसे अपराधों के लिए शास्ति जिनकी अन्यथा व्यवस्था न की गयी हो—**

जो व्यक्ति इस अधिनियम के अथवा इस अधिनियम के अधीन बनाये गये  
किसी नियम या दिये गये आदेश के किन्हीं उपबन्धों के उल्लंघन में किसी कार्य का  
या साभिप्राय कार्य लोप का जिसकी इस अधिनियम में अन्यथा व्यवस्था न की गयी  
हो दोषी हो, उसे प्रत्येक कार्य या कार्यलोप के लिए अर्थदण्ड दिया जायेगा जो  
पांच हजार रुपये से कम नहीं होगा और जो दस हजार रुपये तक हो सकता है।

**धारा—69 पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात बर्द्धित दण्ड—**

यदि कोई व्यक्ति धारा 60, धारा 62, धारा 63 या धारा 65 के अधीन या  
उन धाराओं के उपबन्धों के अधीन जैसे कि वे समय—समय पर थे दण्डनीय किसी  
अपराध के लिए पहले सिद्ध दोष ठहराये जा चुकने के पश्चात इन धाराओं में से  
किसी धारा के अधीन दण्डनीय अपराध करता है और सिद्ध दोष ठहराया जाता है  
तो वह उस दण्ड से दुगुना दण्ड पाने का भागी होगा जो इस अधिनियम के अधीन  
पहली दोष सिद्धि पर आरोपित किया जा सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि धारा 60 की उपधारा (1) या धारा 63 या धारा 65 के अधीन द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिए दोष सिद्धि की स्थिति में अर्थदण्ड सहित कम से कम तीन मास की अवधि के कारबास का दण्ड दिया जायेगा और धारा 60 की उपधारा (2) या धारा 62 के अधीन द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिए दोष सिद्धि की स्थिति में अर्थ दण्ड सहित कम से कम एक वर्ष की अवधि के कारबास का दण्ड दिया जायेगा।

अग्रेत्तर प्रतिबंध यह है कि इस धारा की कोई बात किसी ऐसे अपराध के लिए, जिस पर अन्यथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 21 के अधीन सरसरी तौर पर विचार किया जा सकता हो, इस प्रकार विचार किये जाने में कोई रुकावट नहीं डालेगी।

धारा—69 क. कतिपय अपराधों करने से परिवर्तन के लिए प्रतिभूति की मांग करना—

1. जब कभी कोई व्यक्ति धारा 60 की उपधारा 1 के खण्ड—ख, खण्ड—घ, खण्ड—ड, या खण्ड छः या उपधारा 2 या धारा 62 के उपबन्धों के अधीन दण्डनी किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष हो, तो ऐसे व्यक्ति को दोषी सिद्ध करने वाला न्यायालय उसे दण्डादेश देते समय यह आदेश दे सकता है कि वह तीन वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि में, जैसा वह निर्देश दे, उक्त उपबन्धों के अधीन दण्डयीन किसी अपराध को करने से परिवर्जन के लिए प्रतिभूतियों सहित अथवा बिना प्रतिभूतियों के ऐसी धनराशि का जो उसके साधनों के अनुपात में हों, एक बन्ध—पत्र निष्पादित करें।
2. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ई0 अधिनियम संख्या 2, 1974 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ ऐसे बन्ध—पत्र से सम्बद्ध समस्त विषयों पर लागू होंगे मानों कि वह बन्ध—पत्र शान्ति बनाये रखने के लिए उक्त संहिता की धारा 106 के अधीन दिये गये आदेश से निष्पादित बन्ध पत्र हों।

### **धारा— 69 ख. दुष्प्रेरण के लिए शास्ति—**

जो व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है उसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 116 में किसी बात के होते हुए भी, दोष सिद्धि पर ऐसे दुष्प्रेरण के लिए वही दण्ड दिया जायेगा जो मूल अपराध के लिए उपबन्धित है, चाहे ऐसा अपराध ऐसे दुष्प्रेरण के फलस्वरूप दिया गया हो अथवा नहीं।

### **धारा— 69 ग. कम्पनियों द्वारा अपराध—**

1. यदि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कम्पनी द्वारा किया गया है तो प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो अपराध किये जाने के समय उसका व्यवसाय चलाने के लिए कम्पनी का प्रभारी तथा उसके प्रति उत्तरदायी रहा हो और साथ ही कम्पनी भी अपराध के दोषी समझी जायेगी और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तथा उन्हें दण्ड दिया जा सकेगा।
2. उपधारा 1 में दी गयी किसी बात के होते हुए भी यदि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कम्पनी द्वारा किया गया हो और यह सिद्ध हो जाये कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव, मैनेजिंग एजेन्ट, सेक्रेटरीज एवं ट्रेजरर्स अथवा अधिकारी भी उस अपराध का दोषी माना जायेगा तथा तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और उसे दण्ड दिया जा सकेगा।

### **स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयाजनों के लिए—**

- (ए) 'कम्पनी' का तात्पर्य किसी नियमित निकाय से है तथा इसके अन्तर्गत फर्म अथवा व्यक्तियों का अन्य संघ भी है, और
- (बी) फर्म के संबंध में 'निदेशक' का तात्पर्य फर्म के भागीदार से है।

## धारा-70 अपराधों का संज्ञान—

### 1. कोई मजिस्ट्रेट तब तक कि—

ए. उसकी अपनी जानकारी या सन्देह न हो अथवा किसी आबकारी अधिकारी द्वारा परिवाद या रिपोर्ट न की जाये धारा 60 (धारा 63, धारा 64क) या धारा 65 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का, या

बी. कलेक्टर या उसके द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी आबकारी अधिकारी द्वारा परिवाद या रिपोर्ट न की जाये धारा 64, धारा 66, धारा 67 या धारा 68 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का, संज्ञान न करेगा।

### 2. राज्य सरकार की विशेष स्वीकृति के बिना कोई मजिस्ट्रेट इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान न करेगा जब तक कि अभियोजन उस दिनांक के जब तक अपराध किया जाना अभिकथित हो, पश्चात् एक वर्ष के भीतर न संस्थित किया जाये।

## धारा-71 कुछ मामलों में अपराधों के किये जाने के संबंध में उपधारणा—

धारा 60 के अधीन प्रत्येक अभियोजन में जब तक इसके प्रतिकूल सिद्ध न कर दिया जाये, यह उपधारणा की जायेगी कि अभियुक्त व्यक्ति ने निम्नलिखित सम्बन्ध में उक्त धारा के अधीन दण्डनीय अपराध किया है—

क. किसी मादक वस्तु या

ख. ताड़ी से भिन्न किसी मादक वस्तु के निर्माण के लिए किसी भी प्रकार के किसी भभके, बर्तन, औजार या उपकरण, या

ग. किन्हीं ऐसे सामानों, जिस पर किसी मादक वस्तु के निर्माण के संबंध में प्रक्रिया की गयी हो या जिनसे कोई मादक वस्तु निर्मित की गयी हो,

जिन्हें अपने कब्जे में रखने के संबंध में वह कोई संतोषजनक कारण बताने में असमर्थ हो,

और इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस, परमिट या पास का धारक तथा वास्तविक अपराधी भी धारा 60, धारा 62, धारा 63 या धारा 64 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए, जो उसके सेवायोजन में और उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किया गया हो, दण्ड का भागी होगा मानों उस अपराध को उसने स्वयं किया हो, जब तक कि वह यह सिद्ध न कर दे कि ऐसे अपराध को किये जाने से रोकने के लिए उसे सभी सम्यक् और उचित पूर्वोपाय किये थे—

प्रतिबंध यह है कि सिवाय उस दशा में जब कि अर्थदण्ड का भुगतान करने में चूक की जाय, वास्तविक अपराधी से भिन्न किसी व्यक्ति को कारावास का दण्ड न दिया जायेगा।

**धारा-71 क. क्षमा आदि से संबंधित उपबन्ध अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराधों पर लागू होंगे—**

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 306 और 308 के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराधों के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उक्त संहिता की धारा 306 में उल्लिखित अपराधों के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

**धारा-72 कौन सी वस्तु जब्त किये जाने के योग्य होंगी—**

1. जब कभी इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया गया हो तो—
  - क. ऐसी प्रत्येक मादक वस्तु जिसके संबंध में ऐसा अपराध किया गया हो,
  - ख. ऐसा प्रत्येक भभका, बर्तन, औजार या उपकरण और समस्त सामान जिनके द्वारा उक्त अपराध किया गया हो,

- ग. प्रत्येक मादक वस्तु जो विधिपूर्वक आयात की गयी हो, जिसका परिवहन किया गया हो, जो निर्मित की गयी हो, कब्जे में रखी गयी हो या खण्ड—के अधीन जब्त की जाने योग्य किसी मादक वस्तु के साथ—साथ या उसके अतिरिक्त बेच दी गयी हो,
- घ. प्रत्येक पात्र संवेष्टन और आवरण जिसमें यथापूर्वोक्त कोई मादक वस्तु या कोई सामान, भभका, बर्तन, औजार या उपकरण हो या ऐसे पात्र या संवेष्टन की किसी अन्य अन्तर्वस्तु यदि कोई हो के साथ पाया जाये और
- ड. प्रत्येक पशु, गाड़ी, जलयान या अन्य वाहन जो ऐसे पात्र या संवेष्टन में लाने ले जाने के लिए प्रयोग किया जाये, जब्त किये जाने योग्य होगा।
2. जहां इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन किसी वस्तु या पशु का अधिग्रहण किया जाये और कलेक्टर का ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे यह समाधान हो जाये कि कोई अपराध किया गया है जिसके कारण ऐसी वस्तु या पशु उपधारा 1 के अधीन जब्त किये जाने योग्य हो गया है वहां वह ऐसी वस्तु या पशु को जब्त करने का आदेश दे सकता है चाहे ऐसे अपराध के लिए अभियोजन संस्थित किया गया हो या नहीं ?
- प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी वस्तु (मादक वस्तु को छोड़कर) या पशु की स्थिति में इसके स्वामी को विकल्प दिया जायेगा कि वह वस्तु या पशु की जब्ती के बदले में उसके अभिग्रहण के दिनांक को उसका जो बाजारी मूल्य रहा हो उससे अधिक ऐसा अर्थदण्ड दे, जिसे कलेक्टर पर्याप्त समझे ।
3. जहां अधिग्रहण की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अभिग्रहीत वस्तु का जिसके अन्तर्गत कोई पशु, गाड़ी, जलयान या वाहन भी है, निरीक्षण करने पर कलक्टर की यह राय हो कि कोई ऐसी वस्तु या पशु शीघ्रता से क्षीण और दुर्बल या प्राकृतिक रूप से क्षय होने वाला है या अन्यथा लोकहित में ऐसा करना समीचीन है वहां

पर ऐसी वस्तु मादक वस्तु को छोड़कर या पशु को नीलामम द्वारा अन्य प्रकार से बाजार मूल्य पर बेचने का आदेश दे सकता है।

4. जहां कोई वस्तु या पशु को उपर्युक्त प्रकार से बेचा जाये, और
  - क. उपधारा (2) के अधीन या उपधारा (6) के अधीन पुनर्विलोकन पर कलेक्टर द्वारा अन्ततोगत्वा जब्ती का आदेश न दिया जाये या बना रहने दिया जाये, या
  - ख. उपधारा (7) के अधीन अपील पर दिये गये आदेश में ऐसा अपेक्षित हो, या
  - ग. उस अपराध के लिए जिसके सम्बन्ध में वस्तु या पशु का अभिग्रहण किया जाये, अभियोजन संस्थित किये जाने की दशा में न्यायालय के आदेश से ऐसा करना अपेक्षित हो, वहां विक्रय व्यय की कटौती करने के पश्चात् विक्रय आगम का भुगतान उसके हकदार व्यक्ति को किया जायेगा।
5. क. इस धारा के अधीन जब्ती का आदेश तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके स्वामी या उस व्यक्ति को जिससे उसे अभिगृहीत किया जाये
  1. ऐसे आधार सूचित करते हुए जिन पर इस प्रकार जब्ती प्रस्तावित है, कोई लिखित नोटिस,
  2. ऐसे युक्तियुक्त समय के भीतर जैसा नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाये लिखित अभ्यावेदन देने का अवसर, और
  3. उस विषय में सुनवाई का युक्तिकक्त अवसर, न दे दिया जाये।
- ख. किसी पशु, गाड़ी, जलयान या अन्य वाहन को जब्त करने का कोई आदेश नहीं दिया जायेगा यदि उसका स्वामी कलेक्टर के संतोषानुसार

यह साबित कर दे कि पशु, गाड़ी, जलयान या अन्य वाहन का प्रयोग करके उसके स्वामी, अभिकर्ता, यदि कोई हो, और प्रभारी व्यक्ति की जानकारी या मौनानुमति के बिना, विनिषिद्ध माल को ले जाने के लिए किया गया था और इनमें से प्रत्येक ने इस प्रकार प्रयोग किये जाने के विरुद्ध सभी युक्तियुक्त और आवश्यक पूर्वाप्याय किये थे और इस उपबन्ध का कोई प्रतिकूल प्रभाव खण्ड (क) के उपबन्धों पर नहीं पड़ेगा।

6. जहां उपधारा (2) के अधीन दिये गये जब्ती के किसी आदेश के एक मास के भीतर कलेक्टर को, इस निमित्त आवेदन पत्र दिये जाने पर या यथास्थिति, उक्त उपधारा के अधीन जब्ती से इनकार करने के आदेश से एक मास के भीतर अभिग्रहीत वस्तु या पशु के स्वामी को या उस व्यक्ति को, जिसके कब्जे से उसे अभिग्रहीत किया गया हो, कलेक्टर द्वारा स्वप्रेरणा से यह कारण बताने का नोटिस जारी करने के पश्चात् कि क्यों न आदेश का पुनर्विलोकन किया जाये और उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् कलेक्टर का यह समाधान हो जाये कि अभिलेख को देखने से ही यह प्रकट होता है कि आदेश में कोई भूल है जिसके अन्तर्गत विधि सम्बन्धी भूल भी है, वहां वह पुनर्विलोकन करके ऐसा आदेश दे सकता है, जिसे वह उचित समझे।
7. उपधारा (2) या उपधारा (6) के अधीन जब्ती के किसी आदेश से व्यक्ति कोई व्यक्ति, जो ऐसा आदेश सूचित किये जाने के दिनांक से एक मास के भीतर, ऐसे न्यायिक प्राधिकारी को अपील कर सकता है जिसे राज्य सरकार इस निमित्त नियुक्त करे और न्यायिक प्राधिकारी अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उस आदेश को जिसके विरुद्ध अपील की जाये, पुष्टि, परिष्कार या विखण्डन करने का ऐसा आदेश दे सकता है, जिसे वह उचित समझे।
8. जहां ऐसे अपराध के लिए जिसके सम्बन्ध में ऐसी जब्ती का आदेश दिया गया हो, अभियोजन संस्थित किया जाये, वहां उपधारा (4) के उपबन्धों के अधीन

रहते हुए उस वस्तु या पशु का निस्तारण न्यायालय के आदेश के अनुसार किया जायेगा।

9. इस धारा के अधीन कलेक्टर द्वारा दिया गया जब्ती का कोई आदेश ऐसे किसी दण्ड के आरोपण से निवारित नहीं करेगा जिसके लिए उससे प्रभावित व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन भागी हो।

#### धारा-73 जब्ती के संबंध में अग्रेतर उपबन्ध-

जब धारा 72 की उपधारा 1 के खण्ड के और ख में उल्लिखित कोई वस्तु ऐसी परिस्थितियों में पाई जाये जिनसे यह विश्वास करने का कारण हो कि उस वस्तु के संबंध में या उसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध किया गया है या जब ऐसा अपराध किया गया हो और अपराधी अज्ञात हो या वह न मिल सके, तो कलेक्टर ऐसी वस्तु या उसके साथ पायी गयी या प्रयुक्त कोई अन्य वस्तु या पशु को जो धारा 72 की उपधारा 1 में की गयी व्यवस्था के अनुसार जब्त किये जाने योग्य है, जब करने के आदेश दे सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऐसा आदेश तब तक न दिया जायेगा जब तक कि प्रश्नगत वस्तु या पशु के जब्त किये जाने के दिनांक से एक माह की अवधि न बीत जाये या उस व्यक्ति की (यदि कोई हो), जो उसके सम्बन्ध में किसी अधिकार का दावा करे और उस साक्ष्य की (यदि कोई हो), जो वह अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत करे, सुनवाई न कर ली जाये।

अग्रेतर प्रतिबंध यह है कि यदि प्रश्नगत वस्तु शीघ्रतापूर्वक और प्राकृतिक रूप से क्षय होने वाली हो या यदि कलेक्टर की यह राय हो कि प्रश्नगत वस्तु या पशु का विक्रय उसके स्वामी के लाभार्थ होगा तो कलेक्टर किसी भी समय उसका विक्रय किये जाने का निर्देश दे सकता है, और इस धारा के उपबन्ध ऐसे विक्रय के शुद्ध आगम पर यथाशक्य लागू होंगे।

**धारा—73 क. जब्त की गयी वस्तु को नष्ट करने के आदेश—**

जहां धारा 72 या धारा 73 के अधीन कोई मादक वस्तु जब्त की जाये, वहां कलेक्टर, किसी न्यायालय द्वारा इस निमित्त दिये गये किसी आदेश के अधीन रहते हुए, यदि उसकी राय में ऐसा करना समीचीन हो, मादक वस्तु को नष्ट करने का आदेश दे सकता है, भले ही इस अधिनियम में कोई प्रतिकूल बात दी हो।

प्रतिबंध यह है कि मादक वस्तु की जब्ती के दिनांक से तीन मास समाप्ति के पश्चात ही, और वहां पुनर्विलोकन के लिए आवेदन पत्र या जब्ती के आदेश के विरुद्ध अपील विचाराधीन हो, वहां इस संबंध में ऐसे पुनर्विलोकन या अपील पर दिये गये आदेश के अनुसार ही, नष्ट किया जायेगा।

अग्रतर प्रतिबंध यह है कि मादक वस्तु का पर्याप्त नमूना साक्षियक अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए परिरक्षित किया जायेगा।

**धारा— 74. अपराधी का शमन—**

1. कोई आबकारी अधिकारी जो इस निमित्त राज्य सरकार या विशेष रूप से सशक्त किया गया हो, किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका लाइसेंस परमिट या पास धारा 34 के अधीन निरसित या निलम्बित किये जाने योग्य हो या जिसके संबंध में युक्तियुक्त संदेह हो कि उसने धारा 64 या धारा 68 के अधीन दण्डनीय अपराध किया है, यथास्थिति, ऐसे निरसन या निलम्बन के बदले में या किये गये अपराध के शमन के रूप में पांच हजार रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकार कर सकता है और ऐसे सभी मामलों में जिनमें इस अधिनियम के अधीन जब्त की जाने योग्य कोई सम्पत्ति अधिगृहीत की गयी है, उस सम्पत्ति के लिए ऐसे अधिकारी द्वारा अनुमानित मूल्य का भुगतान किये जाने पर उसे छोड़ सकता है।

1क.राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त कोई अधिकारी, राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए, अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात्, जहां अन्तर्ग्रस्त मादक वस्तु का परिमाण

राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित परिमाण से अधिक न हो, वहां धारा 60 की उपधारा (1) के खण्ड (क) या धारा 63 के अधीन, किसी अपराध, का या धारा 60 की उपधारा (3) के अधीन दण्डनीय किसी भी अपराध का, शमन फीस के रूप में ऐसी धनराशि का जिसे वह उचित समझे और जो पचास रुपये से कम नहीं होगी और तीन सौ रुपये तक हो सकती है, भुगतान करने पर, शमन कर सकता है, यदि ऐसा कोई अपराध किसी व्यक्ति द्वारा पहली बार किया गया हो।

2. ऐसे व्यक्ति द्वारा, यथास्थिति, ऐसी धनराशि या ऐसे मूल्य या दोनों का भुगतान कर दिये जाने पर उस व्यक्ति, यदि अभिरक्षा में हो, निर्मुक्त कर दिया जायेगा और अभिगृहीत समस्त सम्पत्ति छोड़ दी जा सकेगी और ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किसी दण्ड न्यायालय में कोई कार्यवाही संस्थित नहीं की जायेगी न जारी रखी जायेगी। शमन के रूप में ऐसी धनराशि स्वीकार करने को दोष मुक्ति समझा जायेगा और किसी भी स्थिति में ऐसे व्यक्ति या सम्पत्ति के विरुद्ध उसी कार्य के अभिदेश में कोई अग्रेतर कार्यवाही नहीं की जायेगी।

#### **धारा-74 क. शास्ति आरोपण—**

1. यदि इस अधिनियम के अधीन दिये गये किसी लाइसेंस परमिट या पास का धारक या ऐसे धारक का कोई कर्मचारी लाइसेंस, परमिट या पास की किन्हीं शर्तों या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी नियम का उल्लंघन करता है तो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई आबकारी अधिकारी पांच हजार रुपये से अनधिक की शास्ति आरोपित कर सकता है।
2. उपधारा (1) के अधीन शास्ति आरोपित करने का कोई आदेश नहीं दिया जायेगा जब कि लाइसेंस, परमिट या पास के धारक या सम्बद्ध कर्मचारी को—  
 क. उन धाराओं को जिन पर इस धारा के अधीन कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है, सूचित करते हुए लिखित नोटिस न दे दी गयी हो।

- ख. ऐसे समय के भीतर, जो नोटिस में विर्णिदिष्ट किया जाये, ऐसे आधार के विरुद्ध लिखित रूप में अभ्यावेदन करने की युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया है, और
- ग. मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।
3. कोई व्यक्ति जिस पर उपधारा 1 के अधीन शास्ति आरोपित की जाये इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के सम्बन्ध में उन्हीं तथ्यों पर अभियोजित नहीं किया जा सकेगा।

## अध्याय—11

### प्रकीर्ण

धारा—75. औषधियुक्त पदार्थों के संबंध में अपवाद—

इस अधिनियम के पूर्ववर्ती उपबन्धों की कोई बा सिवाय वहां तक जहां तक राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसा निर्देश दे, चिकित्सा व्यवसायियों, केमिस्टों, औषधि विक्रेताओं, औषधिकों या औषालय रखने वालों द्वारा औषधीय प्रयोजनों के निमित्त किसी वास्तविक औषधियुक्त पदार्थ का आयात किये जाने, निर्माण किये जाने, उसे कब्जे में रखे जाने, उसका विक्रय या संभरण किये जाने पर लागू न होगी।

धारा—76. व्यक्तियों तथा मादक वस्तुओं की इस अधिनियम के उपबन्धों से विमुक्त करने की राज्य सरकार की शक्ति—

राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह विहित करना उचित समझे, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी वर्ग की या किसी मादक वस्तु को इस अधिनियम के सभी उपबन्धों या उनमें से किन्हीं उपबन्धों के या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियमों या उनमें से किन्हीं नियमों के प्रवर्तन से या तो संपूर्ण राज्य में या तदनन्तर्गत समाविष्ट किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में या किसी निर्दिष्ट अवधि या अवसर के लिए पूर्णतः या अंशतः विमुक्त कर सकती है।

धारा—77. नियमों तथा अधिसूचनाओं का प्रकाशन—

इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम तथा जारी की गयी समस्त अधिसूचनायें सरकारी गजट में प्रकाशित की जायेंगी और वे इस प्रकार प्रभावी होंगी मानों वे इस अधिनियम में ऐसे प्रकाशन के दिनांक से या ऐसे अन्य दिनांक से जो तदर्थ निर्दिष्ट किया जाये, अधिनियमित हुई हो। (प्रतिबंध यह है कि धारा या किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी प्रतिकूल बात के हाते हुए भी

राज्य सरकार द्वारा धारा 28 और 29 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके जारी की गयी अधिसूचना संख्या 3514—ई/तेरह—331—78 दिनांक 17 अप्रैल, 1978 और 1227 ई/तेरह—332—78, दिनांक 17 अप्रैल, 1978 और उपर्युक्त अधिसूचनाओं द्वारा किये गये संशोधन 1 अप्रैल 1978 को और से प्रवृत्त होंगे और सदैव 1 अप्रैल, 1978 को और से प्रवृत्त समझे जायेंगे।)

(अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा में या किसी संविदा, निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, राज्य सरकार द्वारा धारा 30 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके जारी की गयी अधिसूचना संख्या 384 ई/तेरह—512—83, दिनांक 25 मई, 1983 पहली अप्रैल 1983 को और उसी दिनांक से प्रभावी होगी और सदैव से प्रभावी समझी जायेगी।)

#### धारा—78. कतिपय वादों पर रोक—

1. इस अधिनियम के या आबकारी राजस्व से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसरण में सद्भावपूर्वक किये गये या किये जाने के लिए आदिष्ट किसी कार्य के विषय में क्षतिपूर्ति के लिए सरकार के या किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद किसी सिविल न्यायालय में प्रस्तुत न किया जा सकेगा।
2. कोई सिविल न्यायालय किसी ऐसे वाद पर जो इस अधिनियम के अनुसरण में की गयी अथवा की गयी अभिकथित किसी बात के संबंध में सरकार के विरुद्ध विधिपूर्वक लाया जा सकता हो, विचारण नहीं करेगा जब तक कि वह वाद परिवादित कार्य के दिनांक के पश्चात छः माह के भीतर संस्थित न किया जाये।

#### धारा—79. आबकारी आयुक्त की समय—समय पर प्रयोक्तव्य शक्तियां—

इस अधिनियम द्वारा आबकारी आयुक्त को प्रदत्त कोई शक्ति समय—समय पर अवसरानुसार प्रयुक्त की जा सकती है।

\*\*\*\*\*

